

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	विषय	कृत कार्रवाई
1	डा०एम०डी०आलम, पिता—स्व० हबीब, मु०+ थाना+पो०—दिदारगंज,पटना सिटी, जिला— पटना।	बगलगीर के द्वारा तंग—तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—02 दिनांक—16.08.2012, जिलापदाधिकारी, पटना एवं अनुमण्डलाधिकारी, पटना सिटी को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
2	मो०—अकबरशाह,ग्राम—साण्डा, पो०—साण्डा, थाना—धनरुआ, जिला— पटना।	कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—14 दि०—19.09.2012 प्रधान सचिव, गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त आवष्यक कार्रवाई करते हुए धेराबंदी कराने के संबंध में पत्र लिखा गया। नोट—: कमल नारायण सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक सं—8613 दि० 25.09.2012 एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के कार्यालय पत्रांक— 6700 / सा०षा० दिनांक 23.07.2013 को रिपोर्ट उपलब्ध कराया गया है।
3	मे० असगर अली, पो०— माध्व मिल्स, महल्ला बड़ी नगला, थाना— मालसलामी, पटना सिटी, जिला—पटना	कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने संबंध में।	आयोग के पत्रांक—24, दिनांक 16.10.2012, सचिव, गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना को कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया था। नोट—: सचिव गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना के द्वारा कार्रवाई कर आयोग कार्यालय को ज्ञापांक—9717 दि० 2.11.2012 रिपोर्ट उपलब्ध कराये है।
4	समीमा खातुन, ग्राम—रेपुरा, पोस्ट— नगरी, थाना— चरपोखरी, जिला— भोजपुर	न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 55 दिनांक 13.12.2012 जिलापदाधिकारी, आरा/पुलिस अधीक्षक, आरा को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया। नोट—: जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा के कार्यालय के ज्ञापांक 2146, दिनांक 17.07.2013 के द्वारा आयोग कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराये है।
5	मे० निजाम उद्दीन, पिता— स्व० महबुब आलम, साकिन— हरदास विधा, पो०— बैकठपुर, थाना— खुषरुपुर, जिला— पटना	तंग—तबाह एवं उत्पीडन करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—96, दिनांक 5.02.2013 जिलापदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को जॉचोपरान्त आवष्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया
6	मो० निजामउद्दीन को एवं उनके परिवार को विपक्षी साधु शरण रविदास, पिता— स्व० रामखेलावन रविदास, ग्राम—हरदारस बीधा, थाना— खुषरुपुर	उत्पीडन एवं तंग—तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—116, दिनांक 06.05.2013 जिलापदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जॉचापरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था। नोट—: वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक—5980 दिनांक 04.07.2013 को रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुआ है।
8	मो० अंसार अंसारी वल्द मो०	बगलगिर द्वारा तंग—तबाह एवं पैतृक	आयोग के पत्रांक—117, दिनांक 06.05.

	सदन अंसार अंसारी,ग्राम—पनसुही, पो०— सिंही, जिला— पटना	सम्पति की सुरक्षा के संबंध में।	2013 जिलापदाधिकारी, पटना /वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था । नोट:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक—6097 / सांषादिनांक 04.07.2013 को रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुआ है।
9	डॉ० एम०डी०आलम, पिता स्व० मो० हवीब, ग्राम/थाना— दिवारगंज, पटना सिटी, जिला—पटना	घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—118 दिनांक 08.04. 2013 जिलापदाधिकारी, पटना को कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
10	समस्तीपुर जिले के प्रखण्ड दलसिंह सराय के ग्राम—पंचायत पांड डीह	कब्रिस्तान के भूमि पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—119 दिनांक 08.04. 2013 जिलापदाधिकारी, पटना को कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
11	सहेन्द्र सिंह वल्द स्व० प्यारा सिंह बग्गा जनरल स्टोर पटना सिटी	वर्ष 1984 में दुकान को दंगाइयो द्वारा लूट—पाट कर लिये थे जिसमें मुआवजा भुगतान कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—127 दिनांक 27.05. 2013 जिलापदाधिकारी, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया। नोट:-जिलापदाधिकारी, पटना का कार्यालय समाहरणालय, पटना विषेष कार्यक्रम शाखा का पत्रांक—92 दिनांक 17.06.2013 आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
12	रविदास, पिता— स्व० रामखेलावन रविदास, ग्राम—हरदारस बीधा, थाना— खुषरूपुर	आवेदक एवं परिवार को विपक्षी साधु शरण द्वारा उत्पीड़न एवं तंग—तबाह करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—132, दिनांक 24.06. 2013 जिलापदाधिकारी, पटना /वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया था। नोट:- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का कार्यालय पत्रांक—5980 दिनांक 04.07. 2013 को रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हुआ है।
13	मो० इसलाम मिया, ग्राम/पो०—ऐनखौ, थाना—दुल्हिन बाजार, जिला—पटना	गोतिया द्वारा तंग—तबाह एवं पैतृक सम्पति को बेदखल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—152, दिनांक 25.07. 2013 अनुमण्डल पुलिस उपाधीक्षक पालीगंज को जॉचोपरान्त कार्रवाई कर आयोग कार्यालय को यथाषीघ्र अवगत कराने हेतु पत्र लिखा गया।
14	मो० अली उर्फ छोटू वल्द मो० हलीम, ग्राम/पो०— भरतपुरा, थाना—दुल्हिनबाजार जिला— पटना	जान माल एवं पैतृक सम्पति की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—407, दिनांक 24.08. 2011 जिलापदाधिकारी, पटना /वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, आरक्षी उपाधीक्षक, पालीगंज को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
15	रशिद आलम ग्राम/पो०—सदावह, थाना—दुल्हिन बाजार, जिला—पटना	कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—428, दिनांक 07.09. 2011 जिलापदाधिकारी, पटना, जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना एवं सचिव,

			<p>गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना को कब्रिस्ता की धेराबंदी कराने हेतु के संबंध में पत्र लिखा गया।</p> <p>नोट:- सदावह के कब्रिस्तान की धेराबंदी कराई गई है।</p>
16	मो० अंसार अंसारी वल्ड मो० सदन अंसार अंसारी,ग्राम—पनसुही, पो०— सिंही, जिला— पटना	परिवार के सदस्य के मृत्यु होने पर कब्रिस्तान में लाष नहीं दफन करने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—442, दिनांक 10.10. 2011 को वरीय पुलिस अधीक्षक <u>पटना / अनुमण्डल</u> पदाधिकारी, पालीगंज, सचिव, गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना को जॉचापरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए लाष को कब्रिस्तान में दफन कराने हेतु पत्र लिखा गया।</p> <p>नोट:- कार्रवाई हुई है जिसका प्रतिलिपि आयोग को प्राप्त कराया गया है।</p>
17	श्रीमती राजेन्द्र कौर पति सरदार हरवंष सिंह श्री राम मार्केट मच्छर हट्टा, थाना— खाजेकला पटना सिटी, जिला—पटना	मारपीट एवं धमकी दिये जाने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—445, दिनांक 17.10. 2011 को वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को जॉचापरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।</p>
18	मो० शकिल अहमद एवं मो० जाकिर हुसैन दोनों पिता मो० नसरुदीन अहमद, ग्राम / पो०—भरतपुरा, जिला—पटना	मजदुरी नहीं दिये जाने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—454, दिनांक 24.10. 2011 को सचिव, गृह विषेष विभाग, बिहार, पटना / वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, को जॉचापरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए पत्र लिखा गया।</p>
19	ग्राम / पो०—सदावह, जिला—पटना	कब्रिस्तान को धेराबंदी कराने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—473, दिनांक 23.11. 2011 जिलापदाधिकारी, पटना को कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया।</p>
20	शमीम अहमद, पिता— स्व० अमीर हसन अंसारी, ग्राम / पो०— कोईलवर, जिला— भोजपुर	पड़ोसी द्वारा इनका जमीन को अपने कब्जा में करने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—489, दिनांक 15.12. 2011 जिलापदाधिकारी, पटना / वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, को जॉचापरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।</p>
21	श्री प्रकाष सिंह, पिता सरदार दुलारचंद सिंह, ग्राम—कटैयापर, पो०—ऐनखों, थाना— दुलिहन बाजार, जिला—पटना।	सिक्ख प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—494, दिनांक 31.12. 2011 को विज्ञान में अपयोग करने हेतु सिख प्रमाण पत्र दिया गया है।</p>
22	मो० शहिद अधीवक्ता सचिव, जिला परिषद मार्केट एषोसिएशन, मुजफ्फरपुर	जिला परिषद के बहुदेशीय भवन के आवंटन में गड़बड़ करने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—496 दिनांक 04.01. 2012 जिलापदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।</p>
23	खुर्षीद अहमद खाँ, ग्राम—सरैया, पो०—हंसनपुर, जिला— सिवान	सहायक विद्यक की वरियता सूची में अल्पसंख्यक मैट्रिक उर्दू प्रषिक्षित को नियुक्ति से वंचित रखने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—500 दिनांक 24.01. 2012 प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।</p>
24	मनजीत सिंह, पिता—सरदार महेन्द्र सिंह, मोहल्ला—गायधाट दक्षिणी गली काजीबाग,	सिक्ख प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	<p>आयोग के पत्रांक—516, दिनांक 13.03. 2012 को मनजीत सिंह, पिता— सरदार महेन्द्र सिंह को सिख प्रमाण पत्र दिया</p>

	पोस्ट—गुलजारबाग, थाना—आलमगंज, जिला—पटना		गया।
25	सरदार इन्द्र सिंह, पिता—स्व० सरदार मालीक सिंह, मोहल्ला—काजीबाग, पो०—गुलजारबाग, जिला—पटना	सिक्ख प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—525, दिनांक 23.03.2012 को सरदार इन्द्र सिंह को सिख प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।
26	मे० षक्ति अहमद एवं मो० जाकिर हुसैन दोनो पिता—मो० नसरुदीन	परिवाद पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—540, दिनांक 13.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को ज्ञापांक—2080/एक्स०सी० दिनांक 11.06.2012 के द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।
27	नानक बाहीउदासीन मठ थाना/जिला — लखीसराय	कृषियोग भूमि जिसका तौजी नं०—३, थाना नं०—१३४, खाता नं०—४४९, खेसरा नं०—१५९९ एवं १६०० की कुल एराजी ५८ डी०जमीन की नाजायज कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—456, दिनांक 09.11.2011 जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक लखीसराय, को जॉचापरान्त कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिखा गया।
28	मो० जावेद मँसुरी क्षेत्रीय प्रभारी सह सूचना अधिकार कार्यकर्ता, कन्हौली गौषाला रोड मस्जिद चौक,पो०—रमना,जिला—मुजफ्फरपुर ८४२००२	समस्तीपुर जिला अन्तर्गत दलसिंह सरास प्रखण्ड के चमबाहुउद्धीन कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—556 दिनांक 23.07.2012 जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर को कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने हेतु पत्र लिखा गया।

29.	श्री गेयासउद्दीन, गया।	फोकानिया का परीक्षा परिणाम भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं० 287, दिनांक 12.08.2010 द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा विकास बोर्ड को कार्रवाई हेतु भेजा गया।
30.	मकसुद आलम सचिव बाउली कब्रिस्तान के आय दावत सासाराम।	बाउली कब्रिस्तान की धेराबंदी श्री देव नाथ चौधरी को०अभि० द्वारा आधा करने के उपरान्त छोड़ देने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं० 284, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी को कब्रिस्तान की धेराबंदी पूर्ण करने हेतु पत्र भेजा गया।
31.	श्री जफर इमाम एवं अन्य ग्राम फरहताबाद जिला अरवल।	बेलसार लख में सुयुक्त रूप से प्राथमिक विधालय की स्थापना के संबंध में।	आयोग के पत्र सं० 283, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिलापदाधिकारी/जिला विकास अधीक्षक को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
32.	श्री सरदार अजीत सिंह साहरधाट, मधुबनी।	अल्पसंख्यक की जमीन को नाजायज अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं० 279, दिनांक 06.08.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
33.	श्री जाविर हुसैन अंसारी मखदुम सराय, सीवान।	पासपोर्ट का पी०सी०सी० जॉच करने के संबंध में।	आयोग के पत्र सं० 283 दिनांक 15.07.2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक को अपेक्षित कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया।
34.	अब्दुल रशीद शमसी सचिव मदरसा इसलामिया बेलासपुर पूर्व चम्पारण।	जिला मोतिहारी स्थित मदरसा इसलामिया बेलासपुर तालाब को मदरसा के नाम से बन्दोबस्त किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 265,दिनांक 28.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई हेतु लिखा गया।
35.	सैयद शाह अंसारउद्दीन अध्यक्ष शिक्षक मदरसा खानवाह कबिरिया सासाराम।	वित्तीय वर्ष 2008—2009 में मुख्यमंत्री साईकिल योजना के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 249,दिनांक 08.06.2010 द्वारा जिला पदा० सासाराम को पत्र लिखा गया।
36.	मे० अनबालल इसलाय पूर्व ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक पूर्णिया।	विभागीय कार्रवाई के निष्पादन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 248,दिनांक 18.06.2010 द्वारा सचिव, पंचायती राज पदा०

			पटना को लिखा गया।
37.	श्रीमती अफसाना खातुन राजापुर अतिरौलिया राजापुर पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण जिला के फटुवा में आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम में सेविका के चयन में अनिमित्तता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 246,दिनांक 18.06. 2010 द्वारा जिला पदा० पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र भेजा गया।
38.	मो० खालिद, ग्राम बछौर पचायंत झुमरी, प्रखंड रोह	नवादा जिला के रोह प्रखंड के डुमरी पंचायत एवं इसी के बछौर और करणपुर के अतिसंवेदीपील कब्रिस्तान के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 245,दिनांक 18.06. 2010 द्वारा जिला पदा० नवादा, आरक्षी अधीक्षक, नवादा को पत्र लिखा गया।
39.	मो० समीउल्लाह प्रभारी हेड मौलवी, मदरसा, अनिसूल, गोरवा, मदरसा नं० 156 बहेरा, दरभंगा।	दंरभगा जिला के मदरसा अनिसूल गोरवा के षिक्षा की प्रोन्नति पर बोर्ड के अध्यक्ष की सम्पुष्टि नहीं होने के कारण एवं वेतन की निकासी नहीं होने से भुखमरी की स्थिति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 244,दिनांक 18.06. 2010 द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा ऐजुकेशन बोर्ड को पत्र लिखा गया।
40.	श्री मो० जिबरईल अंसारी एवं अन्य ग्रामीणजन, ग्राम मदारगंज, थाना एवं अंचल सन्हौला, भागलपुर।	भागलपुर जिलान्तर्गत ग्राम—मदारगंज, थाना एवं अंचल सन्हौला के कब्रिस्तान की सरकारी खर्च से किए गए धेराबंदी के उपरान्त दिवार को तोड़े जाने के विरुद्ध कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 118 दिनांक 06. 05.2011 द्वारा जिला पदा० भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
41.	श्री मो० मेराज आलम एवं अन्य मुस्लिम ग्रामीण, ग्राम सधुआ एवं गोबिन्दपुर, कौसली, थाना गोपालपुर (ओ०पी०रंगरा चौक)	भागलपुर जिला अन्तर्गत नवगछिया ग्राम—सधुआ एवं ग्राम—गोबिन्दपुर कौसली, थाना गोपालपुर अनुमण्डल नवगछिया के दो कब्रिस्तान को आसामाजिक तत्वों के अतिक्रमण से मुक्त करते हुए धेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 93 दिनांक 14.04. 2011 द्वारा जिलापदाधिकारी भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, पुलिस नवगछिया, भागलपुर।
42.	सु०श्री सहजादी खातुन, पुत्री श्री मो० सलील, ग्राम—धुबौली थाना— गायधाट, जिला मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर, जिलान्तर्गत गायधाट थाना कांड सं० 24/11 दफा 363,366 ए०भा०द०वि० में नामजद अभियुक्तों की गिरफतारी तथा अपहता एवं सूचक एवं गवाहान की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 69 दिनांक 02.03. 2011 द्वारा जिला पदा० मुजफ्फरपुर आरक्षी, अधीक्षक, मुजफ्फरपुर।
43.	सरदार दिलीप सिंह, मित्र मंडल कॉलनी साकेत बिहार, अनिसाबाद पटना।	सरदार दिलीप सिंह के मित्र मंडल कॉलनी, साकेत बिहार, स्थित मकान को विजय कुमार यादव दरोगा, सचिवालय थाना के जबरन कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक 152,दिनांक 03.06. 2011 द्वारा जिला पदा० पटना वरीय आरक्षी, अधीक्षक, पटना।
44.	मो० हैदर अली अंसारी, प्रधान षिक्षक, मध्य विधालय, रामनैयका, थाना—परिहार, जिला—सीतामढ़ी।	सीतामढ़ी जिला के मध्य विधालय, रामनैयका, थाना—परिहार के षिक्षक के द्वारा एफ०आई०आर में थाना प्रभारी द्वारा बलपूर्वक तिथि बदलने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 224,दिनांक 24.05. 2010 द्वारा प्राधान सचिव गृह विभाग, बिहार पटना।
45.	श्री गुलाम सरवर आजाद, राष्ट्रीय, अध्यक्ष मुस्लिम अरजाल समन्वय समिति, मेवासावलेन, सुलतानगंज, पटना—६	तालिमी मरकज में कथित व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—117,दिनांक 12.03. 2010 द्वारा राज्य परियोजना, निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बेल्ट्रोन, भवन शास्त्रीनगर, पटना—२३ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना।
46.	पत्र सं० 6501 दिनांक 21.02.2009 श्रीमती रुबी शबनम आरा, प्रखण्ड शिक्षिका, उर्दू०वि० भदया, बाराचटृटी।	मार्च 2007से अगस्त 2009 तक मानदेय की राशी भुगतान के सम्बंध में।	आयोग के पत्रांक—225,दिनांक 24.05. 2010 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक गया।
47.	श्रीमती सुलेखा खातुन ग्राम—भवानीपुर, थाना—मानिकपुर भाया सूर्यगढ़ा, जिला—लक्खीसराय।	लक्खीसराय के सूर्यगढ़ा की अल्पसंख्यक विधवा महिला की जमीन की जबरन जोतने से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 222, दिनांक 20. 05.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, लक्खीसराय, आरक्षी अधीक्षक,

			लक्खीसराय
48.	श्री मो० अब्दुल गफकार, पिता— मो० सोनू अहमद मुमताज, मछुआ टोली, बारी पथ मोड़ पर।	श्री मो० अब्दुल गफकार, पिता— मो० सोनू अहमद मुमताज, मछुआ टोली, बारी पथ मोड़ पर, पटना को पड़ोसी ध्रुव प्रसाद चंद्रा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-237,दिनांक 08.06. 2010 द्वारा जिला पदा०, पटना आरक्षी अधीक्षक, पटना।
49.	श्री तजम्मुल खाँ प्रदेश सचिव जनता दल(यू)भल्लु खैरा, पो० /थाना/प्रखण्ड— रफीगंज, जिला—औरंगाबाद।	गया जिला में संवेदनशील कब्रिस्तान धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-234,दिनांक 03.06. 2010 द्वारा जिला पदा०, गया।
50.	श्री मो० जिब्रईल अंसारी, ग्राम—मदारगंज, थाना—अमडंडा, जिला—भागलपुर।	भागलपुर जिलान्तर्गत, थाना—अमडंडा के मदारगंज ग्राम के अल्पसंख्यक(युस्लिम) कब्रिस्तान की सुरक्षा तथा धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-230,दिनांक 31.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, भागलपुर ,आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर।
51.	मो० अंसार अंसारी, पिता— श्री मो० जनीफ अंसारी, ग्राम सिराही, थाना—रीगा, जिला—सीतामढ़ी।	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत थाना—रिगा के सिराही ग्राम में अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक समुदाय के अपराधी प्रवृत्ति के लागतों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-227,दिनांक 26.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, सीतामढ़ी आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी।
51.	श्री मो० शमशेर आलम, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय भागलपुर।	कोतवाली बरारी, थानाकांड सं-८७ /१० दिनांक 13.02.2010 धारा— 363,366 भ०द्र०वि० के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-226,दिनांक 26.05. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
53.	श्री मो० अली, उपाध्यक्षक बिहार राज्य अल्पसंख्यक सहायक प्रांभिक शिक्षक संघ, आर्य कन्या मध्य विधालय, पटना।	अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विधालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-221,दिनांक 20.05. 2010 द्वारा प्रधान सचिव, मानव विकास संसाधन विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
54.	श्री रशीद अली खाँ, सचिव बिहार प्रदेश, कॉग्रेस कमिटी, मुहल्ला पठान टोली, वार्ड न० १५, पो०/थाना/जिला—औरंगाबाद।	जिला पदा०, औरंगाबाद श्री कुन्दन कुमार के द्वारा षडयंत्र के द्वारा शहनवाज रहमान उर्फ सल्लू खाँ एवं अन्य को गलत केस में फसाये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-220,दिनांक 20.05. 2010 द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
55.	मो० रशीद, ग्राम /पो०— सिरदला, जिला— नवादा।	मो० रशीद, दैनिक कामगार की सेवा नियमित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-219,दिनांक 20.05. 2010 द्वारा प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार , पटना को पत्र लिखा गया।
56.	श्री अलोइसियुस डिक्रूज सदस्य, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, हाऊस न०-४६३, वार्ड न०-८, क्रिश्चियन कर्चिटर,नेतिया /पश्चिमी चम्पारण।	बेतिया महागिरिजाधर के सामने स्थित द्रान्सफार्मर को बदलने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-213,दिनांक 18.05. 2010 द्वारा अध्यक्ष, बोर्ड, बेली रोड, पटना को पत्र लिखा गया।
57.	श्रीमती सइदा अहमद मुखिया, ग्राम पंचायत राज उचिदा पत्रांक-60 दिनांक 27.03.2010।	जहानाबाद जिलान्तर्गत—रतनी फरीदपुर, प्रखण्ड के ग्राम फरीदपुर में “तालीमी मरकज” केंद्र संचालन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-216,दिनांक 19.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
58.	राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मोमीन फ्रंट 174, आनंदपुरी, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना।	प्रखण्ड खुसरूपुर, फरुहा के विभिन्न ग्रामों के कब्रिस्तान की धेरबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-79, दिनांक 16.02. 2010 द्वारा जिला पदा०, पटना को पत्र लिखा गया।
59.	श्री मो० कमर हुसैन, मिलन सिनेमा के निकट, मधुबनी।	मधुबनी जिला में वर्ष 1919 में बेची गई जमीन पर बिक्रेता के वारिसों द्वारा दावेदारी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-210,दिनांक 14.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, मधुबनी आरक्षी, अधीक्षक, मधुबनी को पत्र लिखा गया।
60.	श्री एम०एम जैदी, कुलसुमनगर, बिहार	नलंदा जिला के बिहार शरीफ के बीवी	आयोग के पत्रांक-209,दिनांक 14.05.

	शरीफ, जिला—नालंदा।	कुलसुम के वकफ जायदाद के मुतविल्लियों के वारिसों द्वारा जायदाद के हेरा—फेरी एवं उसे बेचे जाने पर रोक लगाने जाने के संबंध में।	2010 द्वारा कार्यपालक पदा० बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज भवन, हार्डिंग रोड पटना को पत्र लिखा गया।
61.	श्री मुख्तार आलम, ग्राम—खुडहूरिया, पो०—देवखैरा, जिला—रोहतास।	ग्राम एवं मौना खुडहूरिया, थाना एवं प्रखंड करगहर, जिला—रोहतास के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—195, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, रोहतास को पत्र लिखा गया।
62.	एच०वी०सोगरा गल्स स्कूल दरभंगा।	एच०वी०सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका विधालय, दरभंगा में अतिरिक्त पद सुजन के संबंध में मुख्यमंत्री जी जनता दरबार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—208, दिनांक 14.05. 2010 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
63.	श्री नायदार खाँ, मोहल्ला, न्या भोजपुर, झुमराँव, बक्सर।	बक्सर जिला प्रशासन द्वारा 2008 में प्राथमिकता के आधार पर धेराबंदी के लिए चयनित कब्रिस्तान के कार्य के अभी तक प्रारंभ नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—195, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, बक्सर को पत्र लिखा गया।
64.	श्री मो० अकरम, ग्राम— गजडागढ़, थाना— बाराचट्टी, जिला—गया।	गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड में अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में सरकार के गैर मजरुआ जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—194, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, गया आरक्षी अधीक्षक गया को पत्र लिखा गया।
65.	श्री मोजीव अंसारी, अध्यक्ष कब्रिस्तान समिति, ग्राम—सुकही, पंचायत—मोहम्मदपुर, पो० खडियाँ, थाना— बडडी रोहतास, सासाराम।	शिवसागर अंचल अन्तर्गत मोहम्मदपुर पंचायत के सुकही गौव के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—193, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा० रोहतास, सासाराम को पत्र लिखा गया।
66.	श्री मो० नूरैन, मोहल्ला किला, बेतिया, जिला—पश्चिम चम्पारण।	उर्दू गल्स हाई स्कूल (इमामबाड़ा), मोहल्ला—किला बेतिया, जिला पश्चिमी चम्पारण की प्रस्तीकृति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—207, दिनांक 14.05. 2010 द्वारा मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
67.	श्री राकेश कुमार, आरा।	आरा नगर निगम द्वारा बनाये जा रहे पी०सी०सी सड़क को सड़क के लिए उपलब्ध जमीन से अधिक बढ़ाने पर रोक के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—203, दिनांक 12.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, भोजपुर, आरा को पत्र लिखा गया।
68.	श्री फारूक हुसैन अंसारी, ग्राम/पो०—धबपोखर, थाना— करमचट, प्रखंड—रामपुर, जिला— कैमूर।	कैमूर जिलान्तर्गत ग्राम/पो०— धबपोखर, थाना— करमचट, प्रखंड—रामपुर के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—202, दिनांक 12.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, कैमूर, भमुआ, आरक्षी अधीक्षक कैमूर भमुआ को पत्र लिखा गया।
69.	मो० अमानुल्लाह जफर, ग्राम नाजिरपुर, पो०—कॉटा, थाना—गायधाट, ओ०पी०बेनीबाद, जिला— मुजफ्फरपुर	अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—200, दिनांक 11.05. 2010 द्वारा जिला पदा०, मुजफ्फरपुर, आरक्षी अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
70.	श्री मो० कलाम, ग्राम शिवनगर, थाना—उजियारपुर जिला—समस्तीपुर।	समस्तीपुर जिला के ग्राम शिवनगर थाना उजियारपुर के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—197, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा० समस्तीपुर, आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
71.	घमदाहा अनुमंडल, जिला पूर्णिया।	पूर्णिया जिला के घमदाहा अनुमंडल के बाजार में मस्जिद के मुख्य द्वार के निकट शराब की दुकान को स्थानान्तरित करने के	आयोग के पत्रांक—196, दिनांक 07.05. 2010 द्वारा जिला पदा० पूर्णिया, आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया को पत्र लिखा गया।

		संबंध में।	
72.	श्री डा० कमरुल हसन, अध्यक्ष प्रदेश प्रतिनिधि, दरभंगा।	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थानाध्यक्ष श्री सुबोध चौधरी द्वारा अल्पसंख्यक छात्र श्री जमाल हसन को झूठे मुकदमे में फँसा कर विभिन्न भा०द०वि० के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत केश करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-191,दिनांक 06.05. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक दरभंगा को पत्र लिखा गया।
73.	बिहार प्रदेश जनता दल युनाईटेड, नवादा।	नवादा जिला के प्रखंड के ग्राम लोदीपुर के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-186,दिनांक 30.04. 2010 द्वारा जिला पदा०, नवादा को पत्र लिखा गया।
74.	मो० अबुल फरह मलिक, बिहार पटना।	संविदा के आधार पर आयुष विकितस्कों के काउन्सेलिंग में पिछड़ा वर्गअनुसूची-२ के मलिक मुस्लिम जाति के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-178,दिनांक 21.04. 2010 द्वारा निदेशक देशी चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
75.	श्री सफिहन खातुन, ग्राम-बिक्रम, थाना— बिक्रम, जिला—पटना।	अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-185,दिनांक 29.04. 2010 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण पटना को पत्र लिखा गया।
76.	श्री जकी अहमद, ग्राम—सेमरा मदरसा , बेतिया।	सिकटा प्रखंड के पुरैना पंचायत में सरकारी रास्ता एवं भूमि होने के बावजूद निजी भूमि में सड़क बनाये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-110,दिनांक 09.03. 2010 द्वारा जिला पदा० पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।
77.	बिशेशवर नाथ सिंह, बलराम अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड पटना।	एस०एम अली इमाम एवं अन्य द्वारा रउफ मुस्लिम जामिया द्वारा संचालित संस्थाओं का शोषण करने एवं कॉलेज संघ संस्थापक को सहयोग करने के फलस्वरूप प्रताड़ना के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-110,दिनांक 25.06. 2009 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
78.	मो० वाहिद उर्फ बाबा जंगल शाह, हजात लालपुरी दरगाह, रशीदाचक थाना—न्यु बाईपास, अगमकुआँ पटना।	मुस्लिम समुदाय के मकबरा एवं कब्रिस्तान को बाहुबलियों से बचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-103,दिनांक 08.03. 2010 द्वारा जिला पदा० वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
79.	मो० हसीबुर रहमान ग्राम— फतेहपुर प्रखंड— दुल्हिन बजार जिला—पटना।	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-102,दिनांक 08.03. 2010 द्वारा जिला पदा० पटना को पत्र लिखा गया।
80.	मो० रहमत अली उर्फ ग्राम— हसनगंज, पो०/थाना— पकरीबरावॉ, जिला—नवादा।	पकरीबरावॉ थाना के ग्राम हसनगंज के कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने एवं कब्रिस्तान की मिट्टी के अवैध कटाई को रोकने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-101,दिनांक 08.03. 2010 द्वारा जिला पदा० नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।
81.	श्री मो० रेजाउल्लाह, ग्राम—फतेहौं थाना— करौया, जिला— मुजफ्फरपुर।	मोतीपुर थाना काण्ड सं० 159/07 के अन्तर्गत सूचना एवं लक्षियों जान माल को अभियुक्तों से सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-100,दिनांक 08.03. 2010 द्वारा आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
82.	श्री मो० अजमतुल्लाह रहमानी, हाई कोर्ट मजार शरीफ मस्जिद, थाना— कोतवाली पटना।	जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-99, दिनांक 08.03. 2010 द्वारा जिला पदा० सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।
83.	बीवी शाहिदा खातुन, सेविका केंद्र संख्या—८ गोराडीह, भागलपुर।	बाल विकास परियोजना, गोराडीह, भागलपुर की सेविका बीवी शाहिदा खातुन, सेविका की सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-90, दिनांक 24.02. 2010 द्वारा जिला पदा० भागलपुर को पत्र लिखा गया।
84.	श्री मो० मौजाहिद रब्बानी, बिहार शिक्षा	अल्पसंख्यक के साथ कथित भेदभाव के	आयोग के पत्रांक-91 दिनांक 24.2.

	परियोजना दरभंगा।	संबंध में।	2010 द्वारा जिला पदाधिकारी दरभंगा को पत्र लिखा गया।
85.	श्री एस० एम० हुसैन, असमत विला में कागजी, मुहल्ला—बिहारशरीफ नालंदा।	स्कान को किरायेदार से खाली कराने तथा बकाया किराया के भुगतान कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—167, दिनांक 16.4. 2012 द्वारा जिला पदा० नालंदा, बिहारशरीफ आरक्षी अधीक्षक नालंदा, बिहारशरीफ को पत्र लिखा गया।
86.	श्रीमती आसमा खातुन पति—श्री मो० जमालउद्दीन अंसारी, ग्राम—डेगमा, थाना—रोह, जि०—नवादा।	रोह थाना रोड सं०—१५/१० का उच्च स्तरीय कर निर्दोष व्यक्ति को बचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—176, दिनांक 21.4. 10 द्वारा आरक्षी अधीक्षक नवादा।
87.	श्री मो० सेराज अंसारी, ग्राम—पड़िरिया, थाना—धमौल, प्रखंड—पकरीबरावॉ, जि०—नवादा।	नवादा जिला के पकरीबरावॉ प्रखंड के ग्राम—पड़िरिया थाना—धमौल में नव सृजित उर्दू प्राथमिक विधालय के भवन निर्माण कार्य को असमाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी मैंगते हुए रोके जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—175, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।
88.	श्री मो० शमशाद आलम, अधिवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सॉइ शाह कमीटी, २ए, रानी प्लाजा, इण्जीवीशन रोड, पटना।	जहानाबाद जिला के घोषी के ग्राम—सैदपुर, श्रीपुर पंचायत—गोलपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—174, दिनांक 21.4. 10 द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
89.	श्री मो० आदिल, पिता—श्री मो० शोमायल, लोहार पट्टी, पो०—किशनगंज बजार, किशनगंज।	किशनगंज जिलान्तर्गत कालाबजार टेकनीकल असिस्टेंट पद परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बावजूद श्री मो० आदिल, पिता श्री मो० शोमायल की नियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—173, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज।
90.	श्री मो० जहाँगीर अंसारी, ग्राम—सिवान, पंचायत—राजबरारी, पो०—गुरुबाजार, जिला—किटिहार।	किटिहार जिला के ग्राम—सिवान, पंचायत, राजबरारी, पो०—गुरुबाजार के अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—172, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी, किटिहार आरक्षी अधीक्षक, किटिहार को पत्र लिखा गया।
91.	श्री मो० मुस्तकीम अंसारी, पिता—मो० दिलावर मियॉ, ग्राम—गुलनी कलौं, थाना—धमौल, नवादा।	नवादा जिला के पकरीबरावॉ के थाना धमौल के निवासी बबलू यादव द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की स्कूल जाती बच्चियों के छेड़—छोड़ के विरुद्ध कारवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—171, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा, आरक्षी अधीक्षक नवादा को पत्र लिखा गया।
92.	श्रीमती बानो खातुन, ग्राम—खुशरूपुरी, पो०+थाना—खुशरूपुर, जिला—पटना।	अल्पसंख्यक महिला को गलत ढंग से षड्यंत्र रचकर प्रताड़ित किये जाने से मुक्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—170, दिनांक 21.4. 10 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना, आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
93.	श्री नसीम अखतर, ग्राम—बसवरिया (देवराज) थाना—लौरिया पश्चिमी चम्पारण।	सड़क दुर्घटना में मारे गये गाड़ी के मालिक/चालक के विरुद्ध कारवाई करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—166, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, आरक्षी अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को पत्र लिखा गया।
94.	श्री मो० अनवर भट्ट, सदस्य जिला २० सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, बड़ी दरगाह, नवादा।	नवादा जिला में कलस्टर योजना के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक नित्त निगम द्वारा लाभार्थियों के चयन में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—165, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी नवादा को पत्र लिखा गया।
95.	श्री मो० ज्याउद्दीन, अध्यक्ष ग्रामीण अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, ग्राम पंचायत—बौरीडीह, थाना—खोदागंज, अंचल—इस्लामपुर, नालन्दा।	नालन्दा जिला के ग्राम पंचायत—बौरीडीह, थाना—खोदागंज, अंचल—इस्लामपुर, के कब्रिस्तान की घेराबंदी के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—164, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालन्दा, आरक्षी अधीक्षक, नालन्दा को पत्र लिखा गया।

96.	श्री एस० एम० अलाउद्दीन, कुदरत मंजिल, पुरानीगंज, मुंगेर।	मुंगेर जिला के मोहल्ला मनिया चौराहा, थाना—कासिम बाजार के कब्रिस्तान की पुनः प्राक्कलन कर कर धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—163, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को पत्र लिखा गया।
97.	श्री मो० फैज रहमानी, ग्राम+पो०—गढ़वा, थाना—पिपराही, जिला—शिवहर	श्री मो० फैज रहमानी, ग्राम+पो०—गढ़वा, थाना—पिपराही, जिला—शिवहर को उग्रवादी तत्वों से सुरक्षा प्रदान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—162, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, शिवहर आरक्षी अधीक्षक, शिवहर को पत्र लिखा गया।
98.	श्रीमती बोबासरा परवीन, पति—श्री फिरोज आलम, वार्ड न०—७, शिवगंज मुहल्ला, थाना—शिकारपुर, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण।	बलात्कार का प्रयास करने वाले अभियुक्तों को गिरफतार एवं कड़ी सज़ा दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—161, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, आरक्षी अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को पत्र लिखा गया।
99.	श्रीमति कनीज़ फातमा, ग्राम+पो०—चकरवॉ खास प्रखंड—भोरे, जिला गोपरलगंज।	गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के ग्राम+पो०—चकरवॉ खास की गरीब अल्पसंख्यक महीला की जमीन को स्थानीय दबंगों के हस्तक्षेप से मुक्त कराये तथा सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—160, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज को पत्र लिखा गया।
100.	श्री मकसूद आलम, सचिव, बाउली कब्रिस्तान समिति कोआथ रोहतास।	श्रोहतास जिलान्तर्गत कोआथ के बाउली के कब्रिस्तान धेराबन्दी के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—159, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास, आरक्षी अधीक्षक रोहतास को पत्र लिखा गया।
101.	श्री मो० अनवर, फुलौड़ीगंज, पटना सिटी।	श्री मो० अनवर वल्द एकबाल अहमद, फुलौड़ीगंज, पटना सिटी के मकान को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा जान माल की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—158, दिनांक 9.4. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
102.	श्री शकुर मियाँ, ग्राम—भीमाइन, पो० चन्दौली, थाना—खैरा, जमुई।	ग्राम—भीमाइन, पो०—चन्दौली, थाना—खैरा, जिला जमुई स्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—149, दिनांक 25.3. 2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना।
103.	श्री राज कुमार पासवान, ग्राम—हथिया पत्थर, पो०—नीमनवादा, थाना—खैरा, जिला—जमुई।	जमुई जिला के ग्राम—हथिया पत्थर, पो०—नीमनवादा, थाना—खैरा, जिला—जमुई स्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—146, दिनांक 25.03. 2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।
104.	श्री मो० जमालुद्दीन अंसारी ग्राम—कुरथा खेमकरण सराय, थाना—कुरथा जिला अरवल।	अरवल जिला के ग्राम कुरथाखेमकरण सराय, थाना—कुरथा के कब्रिस्तान के धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—138, दिनांक 19.03. 2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल आरक्षी अधीक्षक अरवल को पत्र लिखा गया।
105.	श्री मो० इन्तेखाब अहमद, थाना—गोविन्द गंज, पूर्वी चम्पारण।	सूचना के अधिकार अधिनियम 05 के तहत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—135, दिनांक 18.03. 2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, जिला आरक्षी अधीक्षक पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।
106.	श्री मो० अखतर हुसैन, ग्राम—कुशडीहरा, पालीगंज।	पटना जिला के ग्राम कुशडीहरा पालीगंज स्थित कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने, दोषियों को दंडित करने तथा इसकी धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—134, दिनांक 18.03. 2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।

107.	श्री नौशाद आलम,प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विधालय, कैवड़ा, पुनर्पुन पटना।	अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पटना सदर द्वारा कथित रूप से रिश्वत मांगे जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-133,दिनांक 18.03.2010 के द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
108.	श्री मो0 अब्दुल वहाब अंसारी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग बुनकर महासंघ जमाल मार्केट के0पी0रोड गया।	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बुनकरों ऋण माफी योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-140,दिनांक 18.03.2010 के द्वारा आद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार,पटना निदेशक, हस्तकररचा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
109.	नेशनल कमिशन फार माईनरीटीज, भारत सरकार नई दिल्ली।	सबौर अंचल के वक्फ की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 154,दिनांक 05.04.210 के द्वारा जिला पदा0 भागलपुर, आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
110.	श्री श्यामेन्द्र शर्मा, जहानाबाद।	मेहनपुर वयनावाली पईन में पुलिस गेट के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-153, दिनांक 05.04.2010 के द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
111.	श्री खुर्शीद अनवर बरबीधा, शेखपुरा।	बरबीधा के मोहल्ला फैजाबाद के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा धेराबंदी कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-152,दिनांक 05.04.2010 के द्वारा जिला पदा0 शेखपुरा को पत्र लिखा गया।
112.	बजारा समुदाय, सामुहिक आवेदन जहानाबाद।	बेर्धरों एवं भूमिहीन बंजारों को सरकार की ओर से आवास उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-151,दिनांक 05.04.2010 के द्वारा जिला पदा0, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
113.	श्रीमती बीबी रोशन आरा, ग्राम—पो0—बाभनगामा(पैटानटोला) थाना— बिहुपुर, जिला—भागलपुर।	श्री मो0 सिद्धिक अली मोटर चालक केंद्रीय जल आयोग बेगुसराय के साथ श्री अजय कुमार, सहायक अधिशासी अभियंता द्वारा मारपीट एवं परेशान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-118,दिनांक 12.03.2010 के द्वारा जिला पदा0, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
114.	श्री मो0 साबिर एनामी, ग्राम—कैथा, प्रखंड इस्लामनगर अलीगंज, जिला—जमुई।	जमुई जिला के प्रखंड इस्लामनगर अलीगंज के ग्राम एवं पचांयत—कैथा के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-131,दिनांक 17.03.2010 के द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना, जिला पदा0, जमुई, उपविकास आयुक्त, जमुई को पत्र लिखा गया।
115.	श्री मो0 तजम्मुल खाँ, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश जनता दल औरंगाबाद।	औरंगाबाद जिला के रफीगंज में शेष कब्रिस्तानों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-127, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0 औरंगाबाद को पत्र लिखा गया।
116.	श्री वसीम उद्दीन, पो0— सहथा, थाना— भगवानपुर, जिला—वैशाली।	मॉ इन्टरप्राजेज, एन. एच.— 77 दीधी—काला, हाजीपुर के मालिक द्वारा श्री वसीम उद्दीन हाजीपुर के ट्रेकटर को अवैध रूप से छीने जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-125, दिनांक012.03.10 के द्वारा जिला पदा0 वैशाली, हाजीपुर, आरक्षी अधीक्षक वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
117.	श्री मो0 फहद अली रहमानी, ग्राम—अली नगर, लखीसराय।	उर्दू मंकतब में शिक्षक बहाली के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-124, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0, लखीसराय, जिला शिक्षा अधीक्षक, लखीसराय को पत्र लिखा गया।
118.	श्री गिलमान अहमद, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, ताजपुर, समस्तीपुर।	समस्तीपुर जिला के रहीमाबाद के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-123, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
119	मुस्लिम समुदाय, गया।	गया जिला के ग्राम— सोलरा , थाना—परेया के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-122, दिनांक 12.03.10 के द्वारा जिला पदा0, आरक्षी अधीक्षक गया को पत्र लिखा गया।
120	श्री इस्लाम मियाँ, ग्राम— सिंधिया सागर, थाना— बनजरिया तुरकौलिया,	पूर्वी चम्पारण जिला के ग्राम—सिंधिया, थाना बनजरिया, तुरकौलिया के मुस्लिम	आयोग के पत्रांक-121,दिनांक 12.03.2010 के द्वारा जिला पदा0, पूर्वी

	पूर्वी चम्पारण ।	समाज के लोगों को अंचलाधिकारी, श्री मनोज कुमार द्वारा तंग तबाह किये जाने के संबंध में।	चम्पारण, मोतिहारी, आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
121.	श्री मो० एजाजुल ग्राम–भगवानपुर सिमरा, थाना–पारू जिला—मुजफ्फरपुर।	ग्राम–दामोदरपुर थाना–पारू, जिला—मुजफ्फरपुर के कब्रिस्तान को अतिक्रमण के मुक्त कराने तथा धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–119, दिनांक 12.03. 2010 के द्वारा जिला पदा० मुजफ्फरपुर, आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
122.	श्री मो० जैनुल अंसारी, ग्राम–छोटका सिंह पुरा बक्सर।	अल्पसंख्यकों की बस्ती को उजाड़ने तथा रास्ता अवरुद्ध करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–17, दिनांक 11.01. 2012 के द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग को कारवाई हेतु लिखा गया को पत्र लिखा गया।
123.	श्री हसनैन तफवाजफर, जिला समस्तीपुर।	मदरसा नुरुल उलूम तफवाजफर हरदी जिला समस्तीपुर के नाम पर नाजायज चंद्रा वसुलने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–18, दिनांक 11.1. 2012 के द्वारा जिला पदा०, पूलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया को पत्र लिखा गया।
124.	श्री मो० मोइनउद्दीन ग्राम—मोरनिरूप, मनियारी मुजफ्फरपुर।	बहुदेशीय भवन के आवरण में अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–14, दिनांक 10.1. 2012 के द्वारा जिला पदा० उपविकास आयुक्त को पत्र लिखा गया को पत्र लिखा गया।
125.	माननीय सांसद श्री जय नारायण निसाद, मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर में सोगरा वक्फस्टेट को खुर्द वुर्द से बचाने के संबंध में।	मुख्य कार्यपालक पदा० बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना।
126.	मो० रेहास सचिव एकता सहकारी गृह निर्माण समिति पटना।	अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा क्य किए गए भुखण्ड पर असमाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–47, दिनांक 21.2. 2012 के द्वारा कारवाई हेतु प्रधान सचिव गृह (आरक्षी) विभाग को भेजा गया।
127.	मो० अलाउद्दीन ग्राम करनगंज एवं गरसराय जिला नालंदा	नेजि भूमि पर मकान निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–48, दिनांक 22.2. 2012 के द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
128.	सबीर अहमद प्राचार्य मदरसा मुस्लमीन जिला मधुबनी।	मौलवी/फौकानिया परीक्षा 2012 के केन्द्र निर्धारण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–79, दिनांक 24.3. 2012 द्वारा अध्यक्ष बिहार मदरसा बोर्ड को आवश्यक कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
129.	सैयद अब्दुल जब्बार असकरी ग्राम मिलकी सदुरी जिला बेगुसराय।	कब्रिस्तान की भूमि पर इन्दिरा आवास के निर्माण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–90, दिनांक 22.5. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
130.	श्री इसराइल अंसारी ग्राम बरनैया जिला गोपालगंज	अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों के साथ मारपीट एवं दूष्यवाहर करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–130, दिनांक 23.7. 2012 द्वारा प्रधान सचिव गृह (आरक्षी) विभाग को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
131.	श्री अजमी बारी (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटि (इ) पटना	सर्वशिक्षा अभियान के अधिकारियों द्वारा उर्दू भाषी विधार्थियों के मातृभाषा की पुस्तक अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक मिसाबाहुल अरबिया को वितरण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक–128, दिनांक 19.7. 2012 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को लिखा गया को पत्र लिखा गया।
132.	मो० खलील, ग्राम चकफेज़ थाना पातेपुर जिला वैशाली	वैशाली जिला के पातेपुर थानान्तर्गत चकफेज में धार्मिक उन्माद फैलाने के	आयोग के पत्रांक–129, दिनांक 19.7. 2012 द्वारा प्रधान सचिव गृह (विशेष)

		संबंध में।	विभाग को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
133.	श्री अनवर अंसारी ग्राम हसनपुर पंचायत खोपी प्रखण्ड जनदाहा जिला वैशाली।	कब्रिस्तान की भूमि पर मन्दिर निर्माण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-150, दिनांक 9.8. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक वैशाली को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
134.	श्री इसराइल अंसारी ग्राम बरनैया राजाराम थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज।	मारपीट कर आवेदक के मकान के सामने जेठो सी० बी० मशीन द्वारा गड़डा खोदने तथा मुख्य मार्ग बाधित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-151, दिनांक 14.9. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक गोपालगंज को पत्र लिखा गया।
135.	मे० सहाबुद्दीन नया भोजपुर थाना डुमराव जिला बक्सर	अवैध ढंग से मस्जिद की जमीन पर दखल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-154, दिनांक 17.9. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी बक्सर को कारवाई हेतु लिखा गया।
136.	श्रीमती जमीला खातुन एवं अन्य बक्सर प्रखण्ड अर्न्तगत दलसार पंचायत जिला बक्सर।	अल्पसंख्यक परिवार के छः लाभुकों को इन्दिरा आवास योजनार्न्तगत राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-155, दिनांक 17.9. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
137.	प्रधानाध्यापक राजकीय विधालय श्रीखंडा नोखा रोहतास।	उंदू विधालय की भूमि के सीमांकन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-156, दिनांक 17.9. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास को पत्र लिखा गया।
138.	मक्सुद आलम सिक्केटरी कब्रिस्तान कमिटी जहानाबाद जिला कैमुर	कैमुर जिला के कुदरा अंचलार्न्तगत जहानाबाद स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी में अंचलाधिकारी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-164, दिनांक 5.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी कैमुर को पत्र लिखा गया।
139.	मो० इलियास ग्राम रेकमारी थाना पातेपुर जिला वैशाली।	पतेपुर थाना कांड सं० के अर्न्तगत धारा 366 (।) एवं 120 (ठ) के अभियुक्त को गिरफतारी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-178,दिनांक 17.10. 2012 द्वारा पूलिस अधीक्षक वैशाली को पत्र लिखा गया।
140.	आरिफ हुसैन राज्य अध्यक्ष बिहार परिषद अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा सेवा।	अल्पसंख्यक समुदाय के अतिपिछड़ी जाति के भूमिहीन को दबंगों द्वारा उत्पीड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-165,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया।
141.	श्री बरकत अली एवं अन्य ग्राम कुलहरिया जिला बक्सर	कब्रिस्तान की भूमि से रास्ता देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-167,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी को कारवाई हेतु लिखा गया।
142.	मो० सुलेमान ग्राम शिवैसिंगपुर थाना मोहउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला के मोहउद्दीन नगर थाना अर्न्तगत ग्राम शिवैसिंगपुर मुहल्ला शेखटोली स्थित कब्रिस्तान में अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक समस्तीपुर को कारवाई हेतु लिखा गया।
143.	सफीना खातुन, ग्राम माधेपुर थाना-छातापुर जिला सुपौल।	अल्पसंख्यक महिला को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168,दिनांक 10.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक सुपौल को पत्र लिखा गया।
144.	जमादार मियौं, ग्राम-बन्धु सलोना, थाना-आन्दर जिला।	अल्पसंख्यक परिवारों के साथ असमाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करने तथा सामुदायिकता का रंग देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-177,दिनांक 17.10. 2012 द्वारा जिला पदाधिकारी/पूलिस अधीक्षक को कारवाई हेतु लिखा गया।
145.	श्रीमती जरीना खातुन, पति श्री मो० मुस्तकीम, उंदू अनुवादक, मेजरगांज प्रखण्ड, जिला-सीतामढ़ी।	पुपरी में पदस्थापित एवं मेजरगांज प्रखण्ड में प्रतिनियुक्त उंदू अनुवादक मो० मुस्तकीम के बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-131,दिनांक 23.5. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।
146.	डा० सच्चिदानन्द, आयुष चिकित्सक, बिहार।	एन० आर० एच० एम० के आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के	आयोग के पत्रांक-133,दिनांक 23.5. 2011 द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य

		संबंध में।	विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
147.	श्री मो० इम्तियाज खौं, ग्राम+पो०-परेव बिहटा, जिला-पटना।	पटना जिलान्तर्गत बिहटा थाना के ग्राम-परेव के कब्रिस्तान की घेराबन्दी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-129,दिनांक 17.5. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
148.	श्री नुर आलम, पिता—श्री गुलाम मुस्तफा, पसनौली गगन, थाना—महाराजगंज, जिला—सिवान।	सिवान जिलान्तर्गत महाराजगंज नगर पंचायत के अधीन सा० इन्दौली में खरीद की गई जमीन के अतिक्रमण से मुक्त किए जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-96,दिनांक 21.4. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी सिवान/पूलिस अधीक्षक सिवान को पत्र लिखा गया।
149.	आदिल असगर, अध्यक्ष, कब्रिस्तान हिफाजती कमेटी, म्युजियम रोड, मिना प्लाजा के निकट पटना।	प्रखंड दनियावा में कब्रिस्तान घेराबंदी के कार्य को कब्रिस्तान फिजती कमेटी के निगरानी में करनो के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-164,दिनांक 20.6. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को पत्र लिखा गया।
150.	श्री मो० मुस्तफा, प्रखंड अकलियति फलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमिटि, एकंगरसराय, जिला नालंदा।	नलंदा जिला के एकंगरसराय कब्रिस्तान की घेराबंदी प्रखंड अकलियती फलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमीटी की देख-रेख में कराये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-342,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी नालंदा, बिहार शरीफ/पूलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ को पत्र लिखा गया।
151.	श्री लियाकत अंसारी, इस्लामगंज, मोकर, सासाराम (रोहतास)।	नव उर्दू प्राथमिक विधालय, इस्लामगंज पुचायत, मोकर, सासाराम में उर्दू शिक्षक/शिक्षिका के स्थान पर अन्य के पदस्थापन को रद्द किए जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-341,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी रोहतास, सासाराम को पत्र लिखा गया।
152.	सिपाही 176 श्री निसार अहमद, पुलिस केन्द्र, दरभंगा।	श्री मो० निसार अहमद, सिपाही 176 के साथ भेद-भाव किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-340,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पूलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
153.	श्री मक्सूद आलम, ग्राम—शेख बिगाहा, पो० सैन्नगर, जिला—औरंगाबाद।	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-339,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया।
154.	श्रीमती शमीमा खातुन, पति श्री मो० क़ययुम, मुहल्ला—शह की इमली, थाना खाजेकलौं, पटना सिटी।	महिला अत्याचार एवं दहेज उत्पीड़न से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-338,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/पूलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
155.	मो० तनवीर अहमद, ड्रेनिंग स्कूल, महेन्द्र, पटना।	पटना विश्वविधालय के प्रोफेसर श्री अमरनाथ सिंह द्वारा विश्वविधालय कैम्पस में दाखिले पर रोक तथा पी० एच० डी० के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-336,दिनांक 28.12. 2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
156.	श्री मो० अजीम अहमद, पिता स्व० हदीस अहमद, ग्राम—नारायणपुर पो० सहियार, जिला बक्सर।	प्राथमिक विधालय में सहायक उर्दू शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-210 / 10 के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-335,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
157.	श्री मो० नसीर, पिता स्व० मो० इब्राहिम ग्राम—जोकिया, टोला—घुसहा, थाना—भगवानपुर, जिला—बेगुसराय।	बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम—जोकिया टोला, थाना भगवानपुर के दोनों और्खों से दृष्टिहीन मो० नसीर के परिवार की सुरक्षा एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-335,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/पूलिस अधीक्षक, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
158.	सुश्री खुरशीदा प्रवीण सहायक उर्दू अनुवादक, दानापुर प्रखंड, जिला-पटना।	सुश्री खुरशीदा प्रवीण सहायक उर्दू अनुवादक, दानापुर प्रखंड, के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर के दुव्यवहार के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-321,दिनांक 15.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।

159.	श्री कलीम अंसारी, पिता श्री मो० सरफुद्दीन अंसारी, ग्राम—कालापुर, (अदला) थाना—नौबतपुर जिला, पटना।	पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर थाना के ग्राम अदला के कब्रिस्तान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—320,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
160.	श्री अब्दुल जब्बार, ग्राम—राढ़ी, थाना—जाले, जिला—दरभंगा।	जबरन मस्जिद भूमि अतिक्रमण के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—319,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा/पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
161.	श्री तनवीर हसन, ग्राम—सरवॉ मार्केट पो० सरवॉ थाना—बाराचट्टी, जिला बेगुसराय।	एफो आई० आर० दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—318,दिनांक 15.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया/पुलिस अधीक्षक, को पत्र लिखा गया।
162.	श्री मो० शकीलुर रहमान, पिता—स्व० मो० कमालउद्दीन ग्राम+पो०—लखमिनिय०, जिला बेगुसराय।	मृत सरकारी सेवक के भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—317,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को पत्र लिखा गया।
163.	श्री मो० रज्जाक, ग्राम—सुखासनराय टोला, थाना—बरारी, जिला कटिहार।	नीजी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—348,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार/पुलिस अधीक्षक, कटिहार को पत्र लिखा गया।
164.	श्री मो० अब्दुर रब, ग्राम बंसीटीकर, पो० विशनपुर जीछे, भाया सबौर, भागलपुर।	उर्दू मध्य—विधालय, बंसीटीकर प्रखण्ड, सबौर में शिक्षकों के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—347,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
165.	श्री मो० शफीउर रहमान, विकास पदाधिकार, प्रशासनिक नेशनल इन्सोरेन्स क० लि०, बिहार शरीफ।	मह अक्टुबर 11 के वेतन भुगतान के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—346,दिनांक 26.12.2011 द्वारा मैनेजर, नेशनल इन्सोरेन्स क० लि०, बिहार शरीफ को पत्र लिखा गया।
166.	श्रीमती आसमा खातुन, पत्नि स्व० मकबुल हसन, निकट संस्कृत स्कूल का पश्चिमी भाग, जलधारी चौक, वार्ड न०—21, मधुबनी।	संस्कृत उच्च विधालय मधुबनी वार्ड न०—21 के शिक्षकों द्वारा विद्वेश की भावना से पुराने रास्ते को अवरुद्ध किये जाने से रोक लगाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—345,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी/पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को पत्र लिखा गया।
167.	श्री मो० मुमताज, ग्राम—तियाय, थाना—करण्डे, जिला—शेखपुरा।	करण्डे थाना कोड सं० 4/11 में नामजद मुदालयगणों के विरुद्ध कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—316,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को पत्र लिखा गया।
168.	श्री अब्दुल कय्यूम उर्फ कुद्रुस पिता—स्व० शेख घसीटा, ग्राम—दुललहपुर, पो० मंसूरपुर हलैया थाना—गोरौल (कटहरा ओ० पी०) जिला वैशाली।	अल्पसंख्यक गरीब परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—343,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
169.	श्री मो० सिकन्दर (चुड़ीहार) मुखिया, ग्राम—पंचायत—बसौंवकला, थाना—सिकरौल प्रखण्ड इताढ़ी जिला बक्सर।	बक्सर जिलान्तर्गत इताढ़ी प्रखण्ड के ग्राम—बसौंवकला के कब्रिस्तान कर्बला तथा ईदगाह की धेराबन्दी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—344,दिनांक 26.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर/पुलिस अधीक्षक, बक्सर को पत्र लिखा गया।
170.	श्री मो० हबीबुल्लाह, सेवानिवृत सहायक शिक्षक, देबरिया, जिला—साण, छपरा।	अर्जित अवकाश के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—315,दिनांक 14.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, साण, छपरा को पत्र लिखा गया।
171.	श्री एजाजुल खँ, ग्राम—बैरिया, गोपालगंज।	गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया प्रखण्ड के ग्राम पकौली बद्दो की धेराबंदी में बाधा खड़ी करने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक—312,दिनांक 12.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपरलगंज /पुलिस अधीक्षक,

			गोपरलगंज को पत्र लिखा गया।
172.	श्री मो० एब्रार ख्या ततकालीन प्राचार्य, रामधारी सरस्वती महिला इन्टर कालेज, विराटपुर, सहरसा।	सहरसा जिला के रामधारी सरस्वती महीला इन्टर महाविधालय के प्राचार्य को असंवेधानिक रूप से निलम्बित किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-311,दिनांक 12.12. 2011 द्वारा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
173.	श्री मो० जुनैद, पिता स्व० म० मुख्तार, ग्राम-खोस्टोला भलूरा, थाना-औराई, जिला मुजफ्फरपुर।	अपहृत नाबालिग लड़की को मुक्त कराने एवं दोषी अभियुक्त के विरुद्ध कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-310,दिनांक 12.12. 2011 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
174.	श्री सैबुन निशा, पति स्व० म० लतीफ उर्फ नाथो मिय०-ग्राम, सतगामा, जिला जमुई।	जायदाद को जबरन कब्जा करने हेतु सौतेली मॉ श्रीमती सैबुन निशा, पति स्व० नाथो मिय० उर्फ लतीफ मिय० को मृत घोषित किये जाने के विरुद्ध कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-299,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई/वरीय पुलिस अधीक्षक, जमुई को पत्र लिखा गया।
175.	प्रो० मो० शेख जहौगीर, अधीवक्ता एवं जिला अध्यक्ष मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाईटी ऑफ इण्डिया, इस्लामनगर अलीगंज, जिला-जमुई।	मुस्लिम छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-301,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।
176.	श्री मो० हुसैन, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, जमुई।	राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-309,दिनांक 12.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखा गया।
177.	श्री मो० मोजीब अंसारी, ग्राम-मिर्जापुर थाना एवं जिला-सितामढ़ी।	सीतामढ़ी जिला एवं थानान्तर्गत मिर्जापुर ग्राम में अल्पसंख्यकों के मुहल्ला एवं सार्वजनिक रास्ता को अवरुद्ध कर ब्रह्मस्थान का निर्माण करने के उत्पन्न तनाव के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-305,दिनांक 12.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।
178.	श्री मो० शर्फुददीन, सचिव, छोटी मस्जीद वक्फ, न०-2481/8, शिवहर।	शिवहर के वक्फ सं० 2481/8 के प्रसंग में प्राप्त आवेदन पर आवश्यक कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-337,दिनांक 29.12. 2011 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज भवन, हार्डिंग रोड, पटना को पत्र लिखा गया।
179.	श्री मो० असलम अंसारी, पटना जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ-सह-कब्रिस्तान फिजती कमिटी-सह-पसमांदा मुस्लिम महाज, जामा मस्जिद रोड, रहमतगंज, मसोढ़ी पटना।	पटना सदर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम-सोलहपुर कसारा में कब्रिस्तान के ऊपर से फौर-लेन सड़क निर्माण की योजना में संशोधन के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-331,दिनांक 22.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया।
180.	श्री एम० अमानुल्लाह अंसारी, ग्राम-गम्हरिया, ग्राम पंचायत-मॉगोबन्दर, थाना-खैरा के गैरमजरुआ जमीन के धार्मिक उन्माद हेतु उपयोग पर रोक के संबंध में।	जमुई जिलन्तर्गत ग्राम- गम्हरिया, ग्राम पंचायत-मॉगोबन्दर, थाना-खैरा के गैरमजरुआ जमीन के धार्मिक उन्माद हेतु उपयोग पर रोक के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-304,दिनांक 12.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई आरक्षी अधीक्षक, जमुई को पत्र लिखा गया।
181.	श्रीमती हबीबा खातुन, पति-मो० अखतर, लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, पटना।	श्री मो० अखतर, लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, को प्रताड़ित किये जाने एवं बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-295,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को पत्र लिखा गया।
182.	श्री जहौगीर आलम, अध्यक्ष, छोटी कब्रिस्तान कमिटी, बेतिया।	कब्रिस्तान की घराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-294,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया/पुलिस अधीक्षक,

			पश्चिमी चम्पारण बेतिया को पत्र लिखा गया।
183.	श्री मो० हेलाल अस्दक, लेखा सहायक, निगम मुख्यालय, बिहार स्टेट हैण्ड एवं हैण्डी कारपो० लि० उद्योग भवन पटना-४ ।	दीपावली पर्व के अवसर पर अग्रिम नहीं दिये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-300,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा औधोगिक विकास आयुक्त, अधेग विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
184.	श्री रुस्तम अली मंसुरी, पिता-बरकत अली मंसुरी ग्राम-अमथुआ, थाना, काको जिला-जहानाबाद ।	विकलांग गरीब के भूमि को अतिकमण से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-298,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद /पूलिस अधीक्षक, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
185.	श्रीमती सबुजन खातुन, पति श्री शाह अहमद मियौं, राजकीय पॉलिटेक्नीक छपरा ।	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को गृह जिला में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-297,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा सचिव, विज्ञान प्रावेधिकी विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
186.	श्री इशाक शाह, ग्राम-सिकरिया, पो० भेवड़ सिकरिया, जिला-जहानाबाद ।	जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम सिकरिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-296,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद /पूलिस अधीक्षक, जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
187.	श्री वहीद आलम, बिहार प्रदेश मिल्ली इत्तेहाद	भोजपुर जिला के कब्रिस्तानों की घेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-293,दिनांक 8.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा /पूलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा को पत्र लिखा गया।
188.	श्री मो० गिलनाज अहमद, प्रदेश महासचिव, बिहार जदयू अल्पसंख्यक प्रकाष्ठ, थाना चौक ताजपुर, जिला-समस्तीपुर ।	कब्रिस्तान की भूमि को अनाधिकृत ऑनबाड़ी रेल के स्थापित किये जाने से मुक्त किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-292,दिनांक 30.12. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर /पूलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
189.	श्री नुर आलम, पिता श्री गुलाम मुस्तफा, सा० पसनौली गगन, थाना-महराजगंज जिला सिवान ।	निजी जमीन को हड्डे जाने पर कानूनी कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-291,दिनांक 30.11. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान /पूलिस अधीक्षक, सिवान को पत्र लिखा गया।
190.	श्री डा० एस० एम० शमशाद विधायुरी मुहल्ला, वार्ड न० 18, मधेपुरा ।	नगर परिषद के नियमों के विरुद्ध संदिग्ध व्यापार में लिप्त गोदाम का गैर नीजि मकान से सटे खोले जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-290,दिनांक 30.11. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा /पूलिस अधीक्षक, मधेपुरा को पत्र लिखा गया।
191.	श्री मो० कोनैन खाँ, ग्राम+पो०-सहदेव खेप, थाना-मगध, विश्वविधालय, बोधगया, गया ।	आरक्षी पद पर बहाली में अनियमितता के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-289,दिनांक 30.11. 2011 द्वारा प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
192.	श्री मकसूद आलम, ग्राम-रसुलपुर हबीब, थाना-देसरी, जिला-वैशाली ।	वैशाली जिलान्तर्गत, थाना-देसरी के रसूलपुर हबीब कब्रिस्तान की घेराबंदी में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध दंडात्मक कारवाई के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-287,दिनांक 29.11. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/पूलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
193.	श्री मो० शमशेर पिता-श्री मो० सत्तार, मो० रायपुर इर्दगाह, पो०+थाना-फतुहा, जिला-पटना ।	मौर्य लोक परिसर के ब्लाक सी-१/बी सीढ़ी के नीचे की खाली जगह के आवेदन पर पुर्णविचार के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-288,दिनांक 29.11. 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना, नगर आयुक्त, पटना को पत्र लिखा गया।

194.	श्री मो० महफूज आलम, नागपतिया, गया।	प्रताडना से मुक्त किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-285,दिनांक 19.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया / पूलिस अधीक्षक, गया।
195.	श्री हफीजुर रहमान, प्रोपराईटर मेसर्स एवं टू० जेड फर्निचर एण्ड लगेज, मो० आलमगंज, बिहार शरीफ।	बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा दुकान तोड़े जाने के प्रसंग में नोटिस के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-268,दिनांक 18.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा, बिहार शरीफ / पूलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ।
196.	श्री मो० मोइनउद्दीन, पिता—स्व० मो० उस्मान ग्राम—मोर निस्फ पो०—केरमा, थाना—मनियारी, जिला—मुजफ्फरपुर।	बहुदेशीय भवन जिला परिषद, मुजफ्फरपुर में स्थान के अनियमित ढंग से आवंटन के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-284,दिनांक 5.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
197.	श्री मो० शस्म तबरेज़ एवं श्री शमीम अखतर दोनों के पिता श्री मो० हबीबुर रहमान, ग्राम—मिर्जापुर, पो०—पैकटोला, जिला—अररिया।	विकलांगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-282,दिनांक 2.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया को पत्र लिखा गया।
198.	श्री नजीर अहमद अंसारी, सदस्य, जिला परिषद एवं जिला योजना समिति ग्राम—लतराहा, पो०—दोधड़ा, प्रखण्ड+थाना—जाले जिला दरभंगा।	दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-283,दिनांक 2.12.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा / पूलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।
199.	श्री जमशेद आलम, प्रदेश सचिव, हजरत जनदाहा, जिला—वैशाली/ श्री मो० वसीम राजा, ग्राम—सरमस्तपुर, प्रखण्ड महनार जिला वैशाली।	वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड के ग्राम—सरमस्तपुर के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-267,दिनांक 17.11.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजिपुर / पूलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजिपुर को पत्र लिखा गया।
200.	मो० सोहेल अहमद, पो०—कांजीसराय, थाना—काको, जिला— जहानाबाद।	जहानाबाद जिला अन्तर्गत ग्राम— अमथुआ, पो०—कांजीसराय, थाना— काको, जिला जहानाबाद के अल्पसंख्यक परिवार को प्रताडित किये जाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-168,दिनांक 23.06.2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
201.	श्री मो० सलीम अहमद, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर द्वारा श्री एम सुनील कुमार नायक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुगेर पर लगाये आरोपों की जाँच के संबंध में।	श्री मो० सलीम अहमद, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर द्वारा श्री एम सुनील कुमार नायक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुगेर पर लगाये आरोपों की जाँच के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-200, दिनांक 04.08.2011 द्वारा के आरक्षी महानिदेशक, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
202.	श्री मो० इकबाल, थाना—बाराहाट, जिला—बॉका।	बंका जिलान्तर्गत बाराहाट में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक की निजि भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा मरे हुए बच्चे के शव को गाड़ने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-245,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के जिला पदा० बॉका, पुलिस अधीक्षक, बॉका को पत्र लिखा गया।।
203.	श्री मो० नसीर ग्राम जोकिया टोला, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय।	श्री मो० नसीर ग्राम जोकिया टोला, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय से प्राप्त परिवाद पत्र के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-79,दिनांक 06.01.2012 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
204.	श्रीमती शमीमा खातुन, मुहल्ला शाह की इमली, थाना खाजेकला जिला पटना।	महिला अत्याचार एवं दहेज उत्पीड़न से मुक्त कराये जाने के संबंध में श्रीमती शमीमा खातुन को परिवाद पत्र की जाँच प्रतिवेदन।	आयाग के पत्रांक-338, दिनांक 26.12.2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार को पत्र लिखा गया।
205.	श्री तनवीर हसन, सरवॉ मार्केट, पो० सरवॉ बाजार, थाना—बाराचट्टी, जिला गया।	टावेदक मो तनवीर हसन, सरवॉ मार्केट, पो० सरवॉ बाजार, थाना—बाराचट्टी, जिला गया का परिवाद पत्र प्रतिवेदन।	आयाग के पत्रांक-318 ,दिनांक 15.12.2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार को पत्र लिखा गया।
206.	श्री मकसूद आलम ग्राम रसूलपुर हबीब थाना देसरी, जिला वैशाली।	वैशाली जिलान्तर्गत रसूलपुर हबीब कब्रिस्तान की धेराबंदी में अवरोध पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध दंडात्मक	आयाग के पत्रांक-287, दिनांक 29.11.2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार

		कार्रवाई के संबंध में।	सरकार को पत्र लिखा गया।
207.	श्री मो० कथ्यूम उर्फ कुदुस, ग्राम दुलहपुर, थाना गोरैल कटहरा, जिला वैशाली।	अल्पसंख्यक गरीब परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-348,दिनांक 26.12. 2011 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार।
208.	श्री मो० अख्तर, पाईप लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, नगर निगम पटना।	मो० अख्तर ,लाईन खलासी, जलापूर्ति शाखा, पटना नगर निगम को प्रताड़ित किये जाने एवं बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-60,दिनांक 06.01. 2012 द्वारा के सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार को पत्र लिखा गया।
209.	सुश्री सुब्बुह अंजुम, चनपतिया पश्चिमी चम्पारण।	मेरिट कम मींस स्कॉलरशीप के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-266,दिनांक 17.11. 2011 द्वारा के प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा गया।
210.	श्री सरफराज आलम, मेसर्स बाबू कोल्ड स्टोरेज, किशनगंज बिहार।	मेसर्स बाबू कोल्ड स्टोरेज, किशनगंज बिहार को आरम्भ से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं संचालन में बैंक द्वारा अल्प लॉन के भुगतान के कारण इकाई की स्थापना एवं संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-156,दिनांक 3.06. 2011 द्वारा के श्री आर०बी०गुप्ता जोनल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मौर्या लोक कम्पलेक्स, बी ब्लौक पटना को पत्र लिखा गया।।
211.	श्री मो० अकबर आजाद, नालंदा, बिहार शरीफ।	नलंदा जिलार्त्तगत मोहल्ला गगन दीबान, थाना लहेरी बिहार शरीफ के कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करते हुए धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-250,दिनांक 20.10. 2011 द्वारा के जिला पदा०, नालंदा, बिहार शरीफ, पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ को पत्र लिखा गया।।
212.	श्री रफत अंसारी, वार्ड नं० 15, दक्षिण भमुआ।	भमुआ जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान तथा ईमामबाड़ों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-260,दिनांक 04.11. 2011 द्वारा के जिला पदा०, भमुआ को पत्र लिखा गया।।
213.	श्री दानिश रिजवान, तरी मोहल्ला आरा, जिला भोजपुर।	श्री डी०एन०पाठक, सहायक कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केंद्र, पटना के अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-258,दिनांक 25.10. 2011 द्वारा के सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110015 को पत्र लिखा गया।।
214.	श्री मो० इशहाक, लियी बगान, पंचायत भूपमैरा, प्रखंड डुमरा, सीतामढ़ी।	साम्प्रदायिक दंगे से प्रभावित एवं पुनर्वासिल मुहल्ले में जन वितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस जारी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-252,दिनांक 20.10. 2011 द्वारा के जिला पदा० सीतामढ़ी को पत्र लिखा गया।
215.	श्री मो० इस्माईल उर्फ कल्लू मियॉ, हुसैन मस्जिद पो०/थाना-खुसरूपुर, जिला पटना।	अल्पसंख्यक सामान्य नागरिक को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-248,दिनांक 20.10. 2011 द्वारा के जिला पदा०, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को पत्र लिखा गया।
216.	श्री निजामउद्दीन, ग्राम जीवछपुर, पो० हरपट्टी (चोपड़ा रामनगर)थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया।	निर्देष नागरिक की मानहानि तथा मानसिक, शारिरिक एवं आर्थिक क्षति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-244,दिनांक 19.10. 2011 द्वारा के जिला पदा०, पूर्णिया को पत्र लिखा गया।
217.	श्री अब्दुल जब्बार, ग्राम राढ़ी, थाना जाले, जिला दरभंगा।	दरभंगा जिला अन्तर्गत ग्राम राढ़ी थाना जाले के अल्पसंख्यक परिवार को बहुसंख्यक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-243,दिनांक 19.10. 2011 द्वारा के जिला पदा० दरभंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को पत्र लिखा गया।

218.	श्री अखलाक अहमद, सीवान।	सीवान के एमानुएल कन्वेंट स्कूल में उर्दू भाषी छात्र-छात्राओं के लिए उर्दू भाषा की शिक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-242,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के जिला पदा० सीवान, जिला शिक्षा पदा० सीवान को पत्र लिखा गया।
219.	श्री जाकीर हुसैन, ग्राम बलुआहाती, थाना पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	पूर्वी चम्पारण के ग्राम बलुआहाती, थाना पहाड़पुर को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-240,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के जिला पदा० पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
220.	श्री तजम्मुल खौ, प्रदेश सचिव जनता दल, औरंगाबाद।	औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के विभिन्न ग्रामों के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से मुक्त करने एवं धेराबंदी के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-247,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के प्रधान सचिव, गृह विभाग को पत्र लिखा गया।
221.	श्री मो० इकबाल, थाना—बाराहाट, जिला बॉका।	बॉका जिलान्तर्गत बाराहाट में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक की निजि भूमि पर आसामाजिक तत्त्वों द्वारा मरे हुए बच्चे का शव को गाड़ने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-245,दिनांक 19.10.2011 द्वारा के जिला पदा० बॉका, पुलिस अधीक्षक, बॉका को पत्र लिखा गया।
222.	अल—हफीज कॉलेज अल्पसंख्यक विधालय आरा।	अल—हफीज कॉलेज अल्पसंख्यक विधालय आरा, में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को धाटानुदान प्रदान करने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-257,दिनांक 24.10.2011 द्वारा के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
223.	श्री मो० सुलतान अंसारी, ग्राम असहनी टोले वंशि छपरा, थाना रसुलपुर, जिला सारण, छपरा।	ग्राम असहनी टोले वंशि छपरा, थाना रसुलपुर, जिला सारण, छपरा के अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किये जाने पर रोक लगाने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-228,दिनांक 22.09.2011 द्वारा के जिला पदा०, सरण छपरा, पुलिस अधीक्षक सारण छपरा को पत्र लिखा गया।
224.	श्री विलफ्रड हेनरी, नियोजित सहायक शिक्षक, रा०उ०मा० विधालय मनेर,पटना	श्री विलफ्रड हेनरी, नियोजित सहायक शिक्षक, रा०उ०मा० विधालय मनेर को प्रभारी प्रार्चाय, श्री श्यामनंदन सिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रताड़ित तथा मानसिक यातनाएँ देने के संबंध में।	आयाग के पत्रांक-213,दिनांक 17.08.2011 द्वारा के जिला पदा०, पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, जिलाशिक्षापदा०, पटना को पत्र लिखा गया।
225.	श्री सैयद नेजामुद्दीन, ग्राम लालाछपरा पो०/थाना—कैसरिया, जिला पूर्वी चम्पारण।	पूर्वी चम्पारण के केसरिया थाना कोड सं० 138 / 10 के तहत 9 वर्षीय बालक को अपहरण से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-205,दिनांक 16.08.2011 द्वारा के जिला पदा० पूर्वी चम्पारण मोतिहारी, पुलिस अधीक्षक पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को पत्र लिखा गया।
226.	श्री मो० सलीम अहमद, निलंबित अवर निरीक्षक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर।	श्री मो० सलीम अहमद, निलंबित अवर निरीक्षक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, मुगेर द्वारा श्री एम० सुनील कुमार नायक, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुगेर पर लगाये आरोपों की जाँच के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-200,दिनांक 04.08.2011 द्वारा के प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
227.	श्री जौन डिक्रूज अंतुनी, सेवा निवृत लेखापाल सिविल सर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण।	श्री जौन डिक्रूज अंतुनी, सेवा निवृत लेखापाल सिविल सर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को पेंशन पर रोक से मुक्त करते हुए पेंशन राशि भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-199,दिनांक 04.08.2011 द्वारा के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।
228.	श्री मो० इसराईल, ग्राम एवं पो० शिवनार, थाना मोकामा, जिला पटना।	पटना जिलान्तर्गत ग्राम एवं पो० शिवनार, थाना मोकामा, के श्री मो० इसराईल को ग्रामिणों द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर रोक लगाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-198,दिनांक 04.08.2011 द्वारा के जिला पदा० पटना, वरीय आरक्षी, अधीक्षक, पटना को पत्र लिखा गया।
229.	श्री कफील अनवर, ग्राम मलाठी भिखन शहीद कब्रिस्तान, प्रखंड मखदुमपुर, जिला जहानाबाद।	जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्राम मलाठी भिखन शहीद कब्रिस्तान, प्रखंड मखदुमपुर की धेराबंदी का कार्य पुनः आरम्भ किये जाने	आयोग के पत्रांक-196,दिनांक 29.07.2011 द्वारा के जिला पदा०, जहानाबाद, आरक्षी अधीक्षक,

		के संबंध में।	जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
230.	श्री अफसर अहमद, आरक्षण पर्यवेक्षक, राजेन्द्र नगर ८० पटना।	सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाकर रेल राजस्व में कमी करने एवं एक अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी को प्रताड़ित एवं झूठे केस में फसौने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-187,दिनांक 22.07. 2011 द्वारा के रेल महा प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को पत्र लिखा गया।
231.	श्री मो० नौशाद अली, रसायण विज्ञान, जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नारायणपुर, भागलपुर।	विधालय परिसर में विधालय अवधि में प्रचार्य एवं सभी शिक्षकों के समक्ष नरेन्द्र यादव उर्फ भोपाली यादव द्वारा कालेज के शिक्षक को जान से मारने की धमकी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-203,दिनांक 10.08. 2011 द्वारा के जिला पदा० भागलपुर, पुलिस अधीक्षक, नवगांधिया को पत्र लिखा गया।
232.	श्री मो० नईम अहमद, ग्राम/पो०-धुरलख, थाना-मुफरिसिल, जिला समस्तीपुर।	समस्तीपुर जिला नजारत में कार्यरत उम्मीदवार अनुसेवक के बकाया वेतन के भुगतान तथा नियमित नियुक्ति के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-202,दिनांक 08.08. 2011 द्वारा के जिला पदा०, समस्तीपुर, आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया।
233.	श्री मो०आबिद हुसैन, प्रखंड अध्यक्ष, अकलियत फलाह एवं कब्रिस्तान निगरानी कमिटि एकंगरसराय, जिला नालंदा।	नलंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड के कतिपय कब्रिस्तानों की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-195,दिनांक 28.07. 2011 द्वारा के जिला पदा० नालंदा, आरक्षी अधीक्षक, नालंदा।
234.	श्री सैयद गौहर हुसैन, पटना।	श्री मजहर हुसैन, प्रशाखा पदा० भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार पटना को अवकाश की रूपीकृती के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-186,दिनांक 22.07. 2011 द्वारा के निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशालय विकास भवन सविवालय, पटना को पत्र लिखा गया।।
235.	श्री मो० एहसान नूरी, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र सं० ४ खगड़िया।	अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-182,दिनांक 19.07. 2011 द्वारा के जिला पदा० खगड़िया। को पत्र लिखा गया।
236.	श्रीमती सईदा खातुन, जी०बी०रोड प्लाजा मार्केट, जिला गया।	अपहरणकर्ता की गिरफतारी एवं अपहृत व्यक्ति को मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-179,दिनांक 07.07. 2011 द्वारा के जिला पदा० गया, आरक्षी अधीक्षक, गया को पत्र लिखा गया।।
237.	श्रीमति बीबी हुसना बानो, साकिन-अलीनगर, वार्ड नं० २३ नगर परिषद सहरसा।	अल्पसंख्यक लाचार महिला को प्रताड़ना से मुक्त कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-177,दिनांक 05.07. 2011 द्वारा के जिला पदा०, सहरसा आरक्षी अधीक्षक, सहरसा।
238	श्रीमती अनवरी बेगम, नगर पंचायत रामनगर।	श्रीमती अनवरी बेगम, संवेदक, नगर पंचायत रामनगर को आसामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किये जाने से संबंधित आवेदन को स्थानन्तारित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-172,दिनांक 28.06. 2011 द्वारा अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग पटना को पत्र लिखा गया।।
239.	श्री मो० सोहैल अहमद अंसारी, ग्राम अमथुआ, पो० काजीसराय थाना काको, जिला जहानाबाद।	जहानाबाद जिला अन्तर्गत ग्राम अमथुआ, पो० काजीसराय थाना काको के अल्पसंख्यक परिवार को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168,दिनांक 23.06. 2011 द्वारा के जिला पदा० जहानाबाद, आरक्षी अधीक्षक जहानाबाद को पत्र लिखा गया।
240.	श्री रजफ अंसारी, भभूआ वार्ड न० १५ दक्षिण मुहल्ला जिला कैमूर।	कैमूर जिलान्तर्गत चॉद प्रखण्ड के कुँडी गाँव के कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-208,दिनांक 23.08. 2011 द्वारा के द्वारा जिला पदा० कैमूर, भभूआ, आरक्षी अधीक्षक, कैमूर भभूआ को पत्र लिखा गया।
241.	मिल्की अनाईठ, आरा।	मिल्की अनाईठ, आरा में राजकीय उर्दू प्राथमिक विधालय, सोना पकड़ी की अनुशंसित सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन पर मूर्ति झांडा रखकर सम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-222,दिनांक 14.09. 2011 द्वारा के प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना को पत्र लिखा गया।

242.	श्री मो० जावेद अशरफ, प्रखंड मख्दुमपुर, जिला जहानाबाद।	जहानाबाद जिलान्तर्गत मध्य विधालय ढोढा प्रखंड मख्दुमपुर में 12 वर्षों से उर्दू शिक्षक के पद पर बहाली अथवा प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-217,दिनांक 12.09. 2011 द्वारा प्रधान सचिव मानव संसाधन, विकास विभाग बिहार पटना को पत्र लिखा गया।
243.	श्री मो० इलियास खाँ, ग्राम छोटी चेरकी, पो० एवं पंचायत— चेरक, थाना एवं प्रखंड शेरधाटी गया।	इन्दिरा आवास योजना के तहत स्वीकृती पत्र दिये जाने के बावजूद राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-227,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा० गया को पत्र लिखा गया।
244.	श्री मो० नौशाद अली, शिक्षक इन्टर स्कूल नारायणपुर, जिला भागलपुर।	श्री मो० नौशाद अली, शिक्षक इन्टर स्कूल नारायण पुर के 12 वीं संवर्ग में वरीयता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-226,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा० भागलपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को पत्र लिखा गया।
245.	श्रीमती शफीना खातुन, ग्राम— खैरुल्लोला, पो० शाही भुलरा, थाना औराई, जिला— मुजफ्फरपुर	नबालिंग लड़की के अपहरण के औराई थाना कांड सं० 67 / 11 दिनांक 30.05. 2011 धारा 366.ए / 34 भा.द. वि. में कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-225,दिनांक 22.09. 2011 द्वारा के जिला पदा० मुजफ्फरपुर, वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को पत्र लिखा गया।
246.	श्री नसीम उद्दीन मलिक, मुखिया, ग्राम पिपला, पो० वेरी, मसोढ़ी, पटना।	पटना जिलान्तर्गत मसोढ़ी प्रखंड के ग्राम पिपला के कब्रिस्तान की लम्बित धेराबंदी कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-224,दिनांक 20.09. 2011 द्वारा के जिला पदा०, पटना को पत्र लिखा गया।
247.	मुक्तार आलम, पिता महमुद इस्लाम, ग्राम मोहामारी, थाना—दिघलबैंक जिला—किशनगंज।	एस० एस० बी० द्वारा मौजा मोहामारी एवं पॉचगाठी के बीच में में पड़ने वाली जमीन का जबरदस्ती अतिक्रमण किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-150 दिनांक-25.11. 2013,जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
248.	मो० आलीम करबला वार्ड न० 32 किशनगंज।	इमाम बाड़ा की जमीन पर अवैध रूप से धर बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-151 दिनांक-25.11. 2013, जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
249.	मो० अब्दुल जब्बार सकिन, लहसा थाना मनसी जिला— कटिहार।	अवैध रूप से बलपूर्वक कब्रिस्तान की जमीन को जोत लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-164 दिनांक-29.11. 2013,जिलापदाधिकारी, कटिहार, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
250.	साबरा खातुन, निवास मुहल्ला लाईन बाजार जनता लॉज के नजदीक थाना के हाट, जिला पूर्णिया।	बिहार प्रा० उर्दू एवं बगंला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 अयोग्य घोषित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-205 दिनांक-13.12. 2013, मानव संषाधन विभाग पटना , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
251.	तजकीरा बेगम, उत्कमीत मध्य विद्यालय तरीकुला टोला मरधिया, कटिहार।	दक्षता परीक्षा में दूसरी बार फेल हो जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-212 दिनांक-20.12. 2013, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
252.	मो० रौशन आरा, ग्राम पूरब टोला पंचायत बेलवा वार्ड न० 14 किशनगंज।	ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन के पश्चात भी प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-04, दिनांक-03.1. 2014,जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
253.	मो० तासिर अली, जीवछपुर थाना बनमनखी जिला पूर्णिया।	भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं० 43 / 12-13 में पारित आदेश के आलोक दखल कब्जा दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-05 दिनांक-03.01. 2014, जिलापदाधिकारी, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

254.	मो० विकलीस खातुन ग्राम बीरनगर टपरा टोला थाना भरगामा जिला अररिया ।	महिला प्रताडित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-14 दिनांक-03.01.2014, पुलिस अधीक्षक अररिया , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
255.	मो० सकरा खातुन ग्राम सहजाना पकरण्डा पो० पोरला बारसोई जिला कटिहार	बकाया मानदेय भुगतान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-23 दिनांक-13.01.2014,, जिलापदाधिकारी, कटिहार को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
256.	मो० फखरुद्दीन, ग्राम पंचायत राज पथराहा, प्रखंड नरपतगंज, जिला अररिया ।	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-31 दिनांक-22.01.2014, जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
257.	मो० महफूज ग्राम मुलकिया थाना बी कौठी जिला पूर्णिया ।	भूमि विवाद के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-33, दिनांक-22.01.2014,जिलापदाधिकारी, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
258.	मो० हसीब अख्तर ग्राम पंचायत तेघड़ा जिला कटिहार ।	आजमनगर प्रखंड अंतर्गत तेघड़ा पंचायत के मदरसा अशारफीया तालीमुल कुरान के कमिटि द्वारा मनमानी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-150 दिनांक-31.01.2014,,, जिलापदाधिकारी, कटिहार , को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
259.	श्री हसीबुल रहमान ग्राम धोरमाड़ा, प्रसादपुर जिला अररिया ।	पैतृक भूमि पर असमाजिक तत्त्वों द्वारा जबरण कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-62 दिनांक-10.02.2014,जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
260.	श्री चंद्रमणी पांड्ये, कोअर्डिनेटर लसवइंस थ्वनदकंजपवद वित॑वबपंस ‘मस्तिम दक म्कनबंजपवदंस कमअमसवयउमदज	फाराबिसगंज पुलिस थाना को प्राथमिकी दर्ज कर नामिक अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक- 75 दिनांक-17.02.2014,जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
261.	मो० इस्माईल ग्राम बेला चॉद थाना बनमनखी जिला पूर्णिया	झूठे गंभीर षडयंत्र के तहत फंसाने पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं हरिजन अधिनियम के तहत भेजवाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-155 दिनांक-17.04.2014, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
262.	रेहाना प्रवीण पोस्ट पंचायत बेलवा थाना व जिला किशनगंज ।	प्राथमिकी दर्ज कर कुख्यात अभियुक्तों को जेल भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-162 दिनांक-04.04.2014, जिलापदाधिकारी, किशनगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
263.	सैयद शोएब रजा, उपमुखिया, ग्राम पंचायत राज चन्दन पट्टी जिला— दरभंगा ।	बल विकास परियोजना पदाधिकारी, हायाधाट द्वारा चन्दन पट्टी पंचायत के ऑनबाड़ी केन्द्र सं० 74 पर सेविका के चयन में रुची नहीं लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-148 दिनांक-25.11.2013,जिलापदाधिकारी, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
264.	नीलोफर परवीन, निवर्तमान वार्डन के जी० बी० भी० रोसड़ा, समस्तीपुर ।	समस्तीपुर जिला अन्तर्गत कस्तुरबा गॱ्धी बालिका विधालय रोसड़ा के वार्डन के पद से हटाने तथा प्रताडित किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-149 दिनांक-25.11.2013,जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
265.	मो० अख्तर, ग्राम खिरमा पथरा, थाना कवेटी, जिला दरभंगा ।	लहेरियासराय थाना काण्ड सं० 14 / 12 दिनांक 12.1.2012 में दर्जप्रथमिकता में अपहरण शागुफता नाज की खोज बीन में अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा उदासीनता रवैया के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-21 दिनांक-31.01.2014,पुलिस अधीक्षक, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया ।
266.	खुशबु आफरीन ग्राम+पोस्ट चकमेहसी	अनुश्रवण के क्रम में जन वितरण प्रणाली	आयोग के पत्रांक-26 दिनांक-22.1.

	प्रखण्ड कल्याणपुर जिला—समस्तीपुर।	बिक्रेता द्वारा अपमान करने एवं जातीय सूचक शब्द प्रयोग करने के संबंध में।	2014,जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
267.	श्री हैदर अली पिता स्व० अब्दुल शकूर, कोतवाली चौक पोस्ट—लालबाग, जिला—दरभंगा।	श्री हैदर अली तत्कालीन दैनिक वेतन भोगी कर्मी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार का कार्यालय दरभंगा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—35 दिनांक—23.01. 2014,प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
268.	मे० जहौंगीर अंसारी, ग्राम—गरबा, मौजा—सांगी, पोस्ट—सांगी, थाना—फुलपरास, जिला—मधुबनी।	वसगित पर्चाधारी की भूमि पर अँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—49 दिनांक—3.02. 2014,जिलापदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
269.	मो० शब्बीर अहमद, श्रम कल्याण पदाधिकारी द्वारा ए० ए० फातमा शिक्षक मध्य विधालय, हसनपुर बाजार, पो०—हसनपुर चीनी मिल, जिला—समस्तीपुर।	अवैध रूप से सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—65 दिनांक—13.02. 2014,प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
270.	अशरफ खॉ, राष्ट्रीय उच्च मध्यविधालय हसनपुर कीरत, प्रखण्ड, कल्याणपुर समस्तीपुर।	बिहार विधालय परिक्षा समिति द्वारा परीक्षाफल को रद्द किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—108 दिनांक—1.03. 2014,सचिव,बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
271.	मो० इलियास ग्राम—शाहपुर, पोस्ट—भोरे जयराम, खानपुर, जिला—समस्तीपुर।	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बकाये राशि के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—113 दिनांक—8.03. 2014,जिलापदाधिकारी, समस्तीपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
272.	मो० सदर आलम, मोहल्ला पांडासराय, पोस्ट—लहेरियासराय, जिला—दरभंगा।	खतियानी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—115 दिनांक—12.03. 2014,जिलापदाधिकारी, दरभंगा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
273.	मयूल खातुन, ग्राम पोस्ट हरसेर जिला मुज्जफरपुर।	झोला छाप डाठो के दवाखाना के कलिनिक में लोगों को बेमौत मरने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—138 दिनांक—22.11. 2013,जिलापदाधिकारी, मुज्जफरपुर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
274.	सफरदिन देवान ग्राम—तुरहापट्टी, तिहारी टोला, प्रखण्ड—चनपटिया, जिला—प० चम्पारण (बेतिया) के कुछ असमाजिक लोगों द्वारा बजरंग दल के साथ मिलकर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के संबंध में।	ग्राम—तुरहापट्टी, तिहारी टोला, गुरवलिया एवं कचहरी टोला, प्रखण्ड—चनपटिया, जिला—प० चम्पारण (बेतिया) के कुछ असमाजिक लोगों द्वारा बजरंग दल के साथ मिलकर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—139 दिनांक—22.11. 2013,जिलापदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण बेतिया को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
275.	एम० एस० अंसारी, सलाम नगर नक्छेद टोला कब्रिस्तान रोड थाना—मोतिहारी नगर, जिला पूर्वी चम्पारण।	मेतिहारी थाना अंतर्गत सलाम नगर मस्जिद के मोआज्जिन गुलाम सरवर को झटे आरोप तथा साजिश के तहत पुलिस के हवाले करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—140 दिनांक—22.11. 2013, प्रधान सचिव गृह आरक्षी विभाग पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
276.	मो० खालिद अनवर जिलानी, उर्दू अनुवादक चक्रकिया प्रखण्ड कार्यालय पूर्वी चम्पारण।	चक्रिया प्रखण्ड के उप प्रमुख के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मी के साथ अपशब्द बोलने एवं अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—141 दिनांक—22.11. 2013,जिला अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
277.	मो० समसुल अंसारी राजेपुर पोस्ट—लौरिया वायसा अरेराज थाना गोविन्दगंज जिला पूर्वी चम्पारण।	पूर्वी चम्पारण जिला के गोविन्दगंज थानान्तर्गत ग्राम राजेपुर स्थित मस्जिद में माइक लगाने के लेकर हुए विवाद के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—161 दिनांक—23.11. 2013,जिलापदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक पूर्वीचम्पारण को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

278.	मो० अफरोज़ मियॉ, ग्राम चेंगवना थाना शिकारपुर जिला पश्चिमी चम्पारण।	साबरून नेशा के अपहरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168 दिनांक-29.11.2013 पुलिस अधीक्षक पञ्चमी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
279.	मो० शहनाज खातुन ग्राम महमदपुर बदल, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर	शहनाज खातुन, ग्राम महमदपुर, थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का प्रेषण।	आयोग के पत्रांक-183 दिनांक-04.12.2013, पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
280.	मो० फैजान हैदर, ग्राम दामोदरपुर पठान टोली, पो० दामोदरपुर, जिला मुजफ्फरपुर।	एस० के० जे० लॉ कालेज मुजफ्फरपुर के प्रचार्य द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अनदेखी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-191 दिनांक-09.12.2013, कुलपति बी० एस० बी० अम्बेदकर बिहार विष्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
281.	मो० रेयाज मुस्तफा, सलाम नगर कव्रिस्तान रोड थाना मोतिहारी नगर, जिला पूर्वी चम्पारण।	मोतिहारी थानार्नगत सलाम नगर के मुअज्जिन गुलाम सरवर को झूठे आरोप तथा साज़िश के तहत पुलिस के हवाले करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-193 दिनांक-09.12.2013, जिलापदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
282.	मो० आफताब आलम , शंकर बाग लेन, पंकज मार्केट सरेयांगंज, वार्ड नं० 19 मुजफ्फरपुर।	अल्पसंख्यक महिला के साथ दुर्घटवहार मारपीट एंव धर का समान लुट कर धर को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-201 दिनांक-11.12.2013, पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
283.	मो० अतहरइमाम ग्राम कुतुबपुर प्रखंड बिंदुपुर, जिला वैशाली	चेचर ग्राम समुह के नाम पर कुतुबपुर मस्जिद में होने जा रहे खुदाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-215 दिनांक-20.12.2013, जिलापदाधिकारी, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
284.	श्रीमती जमीला खातुन, ग्राम मझौलिया, पोस्ट खबरा जिला मुजफ्फरपुर	अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला से दुर्घटवहार एंव मारपीट किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-220 दिनांक-24.12.2013, जिलापदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
285.	मो० शेख औरंगजेब, रामनगर हाजी मोहल्ला, वार्ड नं०-५ थाना रामनगर जिला पश्चिम चम्पारण।	समाज सेवी व्यक्ति को मुकदमें में फसाने पर जॉच कर न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-12 दिनांक-03.01.2014, पुलिस अधीक्षक बगहा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
286.	मो० फजलुर रहमान, ग्राम पटवा टोला, डाकखाना लालगंज, जिला वैशाली।	अवैध कागज तैयार कर अल्पसंख्यक की पैतृक भूमि को हड्डपने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-18 दिनांक-13.01.2014, जिलापदाधिकारी, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
287.	मो० रसीद, ग्राम जयमंगलपुर, पो०-नरकटियांगंज, थाना शिकारपुर, जिला-प० चम्पारण।	न्याय दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-17 दिनांक-13.01.2014, पुलिस अधीक्षक, प० चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
288.	मो० सैफुद्दीन, सचिव मिल्लत तालीमी संस्थान, चमड़ा गोदाम लेन पक्की सराय मुजफ्फरपुर।	इस्लामिया डिग्री महाविद्यालय, शाहपुर, कॉटी, मुजफ्फरपुर को मिल्लत तालीमी सोसायटी के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संचालन एंव महाविद्यालय को प्राप्त होने वाले अनुदान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-47 दिनांक-31.01.2014, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
289.	मन्नान शाह, ग्राम-चिलरौव, थाना-तुरकौलिया, जिला पूर्वी चम्पारण।	जॉच प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-69 दिनांक-13.02.2014, जिलापदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।

290.	श्री गुलाम गौस बरस्ती सरसीकन, पोस्ट-किसुनपुर, तेलौर, थाना—गौरोल, जिला—वैशाली।	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-63 दिनांक-13.02.2014, प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
291.	मो० नजीर आलम, ग्राम—कैलाजलालपुर, जिला—वैशाली।	चेहराकलॉ, अन्तर्गत ग्राम पंचायत—करहटिया बुजुर्ग रिस्त ग्राम कैला जलालपुर में उत्क्रमित मध्य विधालय कैला के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-64 दिनांक-13.02.2014, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
292.	श्री महबूब अली, ग्राम पंचायत—छोराही, अंचल चेहराकलॉ, जिला—वैशाली।	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-68 दिनांक-13.02.2014, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
293.	मैनुल हक, ग्राम—हसनपुर, थाना—कुण्डवाचैनपुर जिला—पूर्वी चम्पारण।	अपराधिक षडयंत्र कर झूठे मुकदमें में फंसाने, उत्पीड़न करने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-93 दिनांक-4.02.2014, आरक्षी महानिरिक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
294.	मो० मुस्तजाब आलम, पिता—निशात आलम, न्यू सर सैयद कॉलोनी मीठनपुरा चौक कलब रोड, मुज्जफरपुर।	लंगट सिंह कॉलेज के परिक्षा केन्द्र मुज्जफरपुर में वीक्षक एवं परिक्षा नियंत्रक द्वारा प्रताड़ित करने एवं परीक्षा से निष्कासित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-94 दिनांक-6.03.2014, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
295.	मीरहसन, साकिन—पडवलिया जिला गोपालगंज।	पैतृक भूमि पर निर्मित मकान को ढाह दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-100 दिनांक-8.03.2014, जिलापदाधिकारी, गोपालगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
296.	शहजाद अहमद, उर्फ शेख शहजाद आलम, पिता—शेख मंजूर, साकिन—हसनपुर ग्राम—हसनपुर, थाना—कुण्डवाचैनपुर जिला पूर्वी चम्पारण।	अपराधिक षडयंत्र कर झूठे मुकदमें में फंसाने, उत्पीड़न करने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-104 दिनांक-4.02.2014, आरक्षी महानिरिक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
297.	श्री रहीम अंसारी, पिता—बदरी मियो ग्राम हरदिया भौजे थाना बेतिया मुफस्सिल जिला प० चम्पारण।	खतियानी भूमि अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक परिवार को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-124 दिनांक-21.02.2014, पुलिस अधीक्षक, प० चम्पारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
298.	मो० मती, पिता अब्दुल कुदुस, मुहल्ला—सलाहपुर, प०+थाना लालगंज, जिला—वैशाली।	खरीदारी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-158 दिनांक-19.03.2014, पुलिस अधीक्षक, वैशाली, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
299.	श्री हैदर अली अंसारी, मोहल्ला शेख आलम चक पटना।	प्रबंध निदेशक बिस्कोमान, पटना को मेरे फरवरी 1997, से जनवरी 2006, तक की अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-137 दिनांक-22.11.2013, प्रबंध निदेशक बिस्कोमान भवन पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
300.	मो० शौकतअली, ग्राम—पकरी बरौवा, थाना+पोस्ट—पकरी बरौवा, जिला —नवादा।	मौजा कंचना करबला टॉड कब्रिस्तान थाना न० 59 पकरी बरौवा खाता न० 216, प्लॉट न० 2519 रकबा 61 डिसमील अतिक्रमण मुक्त कर धेराबंदी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-147 दिनांक-25.11.2013, जिलापदाधिकारी, नवादा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
301.	श्री मंजूर आलम सचिव, बिहार प्रदेश जद य० अकलियत कमीटी नवादा।	वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-156 दिनांक-25.11.2013, जिलापदाधिकारी, नवादा, को

			जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
302.	मो० फिरोज अहमद, मोहल्ला नगमातियॉ कॉलोनी, गली नं० ७ थाना—सिविल लाईंस, पो०—प्रधान डाकघर, जिला—गया।	घर पर कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—184 दिनांक—04.12.2013, पुलिस अधीक्षक गया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
303.	एस० एम० सगीर ग्राम— पचकेसर, थाना— करपी, जिला अरवल।	अरवल जिला के करपी थानान्तर्गत, ग्राम पचकेसर में स्थित कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—198 दिनांक—11.12.2013, जिलापदाधिकारी, अरवल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
304.	मो० हुसैन ग्राम— अंगारी प्रखंड करपी, जिला—अरवल।	अरवल जिला के ग्राम पंचायत कोचहसा अंतर्गत ग्राम अंगारी में स्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—13 दिनांक—03.01.2014, जिलापदाधिकारी, अरवल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
305.	मो० शमीम वारसी, ग्राम+पोस्ट— पण्डा विगहा, थाना—मेन, जिला— गया।	मोटर साईकिल मिस्त्री को पाई विगहा ओ०पी०प्रभारी, अनिल कुमार द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—19 दिनांक—13.1.2014, पुलिस अधीक्षक गया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
306.	मो० कमालुद्दीन अंसारी ग्राम—मुंजहड़ पंचायत वर्मा खुर्द, थाना— गोह , जिला औरंगाबाद।	रास्ता रोकने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—32 दिनांक—22.01.2014 जिलापदाधिकारी, औरंगाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
307.	मो० मुस्तकीम अंसारी, अध्यक्ष रहमानिया कमिट्ट, रहमान बिगहा मौजे बलिया, पोस्ट—गॅगी, जिला—गया।	कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—40 दिनांक—29.01.2014, प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
308.	मो० मुश्ताक अंसारी, ग्राम— झरहा, थाना—गोह, जिला औरंगाबाद।	औरंगाबाद जिलान्तर्गत, ग्राम—झरहा, थाना—गोह में स्थित दरगाह, कब्रिस्तान की जमीन पर असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने तथा पड़यंत्र के तहत अल्पसंख्यकों पर झूटा केस कर फंसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—79 दिनांक—21.02.2014, प्रधान सचिव गृह आरक्षी विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
309.	मो० मतलूब खॉ, मोहल्ला+पोस्ट—धनगावॉ, वार्ड नं०—33, थाना एवं जिला—जहानाबाद।	जनमाल की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—116 दिनांक—12.03.2014, जिलापदाधिकारी, जहानाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
310.	श्री अब्दुल रहीम, ग्राम— लखावर, पो०+पंचायत— लखावर, जिला—जहानाबाद	पैतृक भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—127 दिनांक—21.02.2014, जिलापदाधिकारी जहानाबाद, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
311.	अध्यक्ष बिहार मानवधिकार प्रोटेक्शन आर्गनाइज़ोशन दिल्ली।	पुस्तैनी भूमि पर भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—152 दिनांक—25.11.2013, जिलापदाधिकारी, गोपालगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
312.	श्री उसमान साईं पो०— विष्णुशुगर मिल्स, जिला गोपालगंज।	कास्त जमीन को कब्जा कर छठ धाट बना लेने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—162 दिनांक—29.11.2013, जिलापदाधिकारी, और पुलिस अधीक्षक गोपालगंज, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
312.	श्री चॉद बाबू सचिव विवके स्वेय सहायता समुह, ग्राम—सवान विग्रह,	ऋणदाता को स्वीकृत वास्तविक ऋण की राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—200 दिनांक—11.01.2013, जिलापदाधिकारी, सिवान, को

	पो०—महाराजगंज, जिला—सिवान।		जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
314.	मो० लुकमान अंसारी, ग्राम—कटोखर, पो०—गोलामुबारकपुर, थाना—माझी, जिला छपरा।	सूद का सूद लेने तथा गहना जब्त करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—51 दिनांक—03.02.2014, जिलापदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सारण, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
315.	मो० हाजी असरफ अली ग्राम— पश्चिमी हरिदास, थाना+प्रखड— हुसैनगंज, जिला— सिवान।	पश्चिमी हरिदास प्रखड हुसैन गंज जिला—सिवान में कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं होने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—78 दिनांक—20.02.2014, प्रधान सचिव गृह विषेष विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
316.	मो० कामील अध्यक्ष, मदरसा इस्लामियौ अबूजर गेफारी परसागढी उत्तर जिला— सुपौल।	साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने तथा मुकदमा करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 142 दिनांक— 22. 11.2013, जिलापदाधिकारी, सुपौल, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
317.	मो० डॉ० अब्दुल लतीफ, उपाचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, को० बी० झा० कॉलेज, कटिहार।	राज्य सरकार से वेतन मद से प्राप्त राशि का भुगतान लंबित रखकर मानसिक प्रताड़ना दिये जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—194 दिनांक—23.12.2013, कुलपति भू० ना० मंडल विष्वविद्यालय मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
318.	मो० तरन्नुम जेवा, सा० गोसाई टोला, पोस्ट तुलसीवाडी, जिला मधेपुरा।	प्रखड विकास पदा० एवं पंचायत सचिव द्वारा शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 का अभिलेख गायब कर देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 213 दिनांक—20.12.2013, जिलापदाधिकारी, मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
319.	मो० फैयाज आलम, ग्राम— सिंगारपुर, पोस्ट—महुवा बजार, थाना— उदाकिशंनगंज, जिला— मधेपुरा।	निर्दोष को फंसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 48 दिनांक—03.02.2014, जिलापदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मधेपुरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
320.	मो० मोकारिम, ग्राम—मौलानगर सूर्यगढ़ा, जिला—लख्खीसराय।	उर्दू शिक्षक के पद पर हिंदी शिक्षक के पदस्थापन के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 157 दिनांक— 25. 11.213, प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
321.	श्रीमति ज्योति लीना मरण्डी, पो०—बरमसिया, जिला—भागलपुर।	निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना द्वारा जिला बाल कल्याण समिति भागलपुर के गठन के चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम को एक भी स्थान नहीं देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—167 दिनांक—29.11.2013, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
322.	मो० अवर सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—174 दिनांक—02.12.2013, जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
323.	मो० नौशाद अली, सहायक शिक्षक प्रोन्नत मध्य विद्यालय, बजरतार फुल्लीडुमर, जिला—बांका।	प्रसंग बेलहर(खेसरा) पी० एस० केस नं०—013 / 23.01.2014 जी० आर० नं० 157 / 2014 धारा 341, 323, 447, 354, 308, 504, 508, 509 भारतीय दण्ड विधान एवं 3(1)(10)एस० सी० एस० टी०एकट के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—91 दिनांक—01.03.2014, आरक्षी अधीक्षक बांका को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
324.	मो० रेयाजुद्दीन अहमद, मोहल्ला—शेखावत हुसैन लेन, खलीफाबाग, थाना— कोतवाली, जिला—	मो० रेयाजुद्दीन अहमद द्वारा प्राप्त परिवाद पत्रों के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 103, दिनांक— 14. 02.2014, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को

	भागलपुर।		जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
325.	मो० इनामुलहक, पोस्ट+ग्राम— माड़र, जिला—खगड़िया।	रैयती जमीन को साजिशपूर्वक बिहार भूदान यज्ञ कमिटी सहरसा द्वारा जमीन वितरण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 144 दिनांक— 22. 11.2013, जिलापदाधिकारी खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
326.	मो० खालिक ग्राम— बालगुदर थाना— जिला— लखीसराय।	कब्रिस्तान की जमीन पर जबरदस्ती ऑगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 145 दिनांक— 22. 11.2013, जिलापदाधिकारी, लखीसराय, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
327.	मो० एहसान जफर, ग्राम— काजीरसलपुर, थाना— तियाय,ओ० पी० भागवानपुर, जिला— बेगुसराय।	वक्फ संख्या 76 के अतिक्रमणकारी पर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं करने के कारण अतिक्रमणकारी की दबंगता बढ़ जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 169 दिनांक— 29. 11.2013, जिलापदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बेगुसराय को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
328.	श्री हशमत अली, महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र खगड़िया।	अल्पसंख्यक दलित पदाधिकारी को प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 41 दिनांक— 29.01. 2014, प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार, पटना को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
329.	श्री नील कमल दीवाकर, सचिव आर्यकन्या उच्च विद्यालय, खगड़िया	आर्य समाज खगड़िया व आर्यकन्या उच्च विद्यालय को गैर आर्य समाजियों द्वारा हड्डपे जाने व धार्मिक अल्पसंख्यक मान्यता होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 38 दिनांक— 22.01. 2014, जिलापदाधिकारी, खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
330.	मो० सलाउद्दीन, जमुई।	सरस्वति मूर्ति विसर्जन के समय शांति बनाये रखने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 45 दिनांक— 03.02. 2014, जिलापदाधिकारी, व पुलिस अधीक्षक जमुई को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
331.	मो० शहाबुद्दीन, प्रदेश सचिव जदयू० सह नगर पार्षद, जिला— खगड़िया।	कब्रिस्तान भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 50 दिनांक— 3.02. 2014, जिलापदाधिकारी, खगड़िया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
332.	मो० ओलायत मियां, सकिन सरकाण्डा, थाना— सोनो चरका पत्थर, जिला— जमुई।	जमीन हड्डपने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा में फसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 112 दिनांक— 08. 03.2014 ,जिलापदाधिकारी, जमुई, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
333.	श्री एहतेजाज उद्दीन, ग्राम— गौरा, पोस्ट— सार्धव,, थाना— खड़गपुर, जिला—मुंगेर।	श्री एहतेजाज उद्दीन द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 118 दिनांक— 20. 03.2014, पुलिस अधीक्षक मुंगेर को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
334.	मो० सरदार यशपाल सिंह, स्टेशन रोड, जिला खगड़िया।	अंचल अधिकारी, खगड़ियां द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक— 126 दिनांक—21.02. 2014,जिलापदाधिकारी, अररिया, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
335.	शबाना खातुन, ग्राम वन का आहुरा प्रखण्ड नुआँव, जिला कैमुर।	वन का बहुआरा ऑगन बाड़ी केन्द्र पर सेविका पद के लिए की गई नियुक्ति में घोर अनियमितता के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—143 दिनांक—22.11. 2013,जिलापदाधिकारी, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
336.	श्री मो० आसिफ अली, पक्की गौरया, पो०—पटना सिटी, जिला—पटना।	मेहन्दीगंज थानार्नगत, मो० आसिफ अली, की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर बेचने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—154 दिनांक—25.11. 2013,जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त

			कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
337.	श्री रेशमा जमाल, पति मुस्तफा जमाल, दरियापुर सज्जीबाग।	झुलतानगंज थाना काण्ड 43/2013 दि० 1-3-2013 के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-155 दिनांक-25.11.2013, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
338.	ज्मीला खातुन, महादेव तुरहा की गली वार्ड सं०-६ पो० डुमरौव जिला बक्सर।	मुख्यमन्त्री मेधावृत्ती नहीं होने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163 दिनांक-29.11.2013, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विश्वविधालय, विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
339.	मनजर इमाम सहायक, वीर कुर्र सिंह विश्वविधालय, आरा।	विश्वविधालय प्राधिकार द्वारा मानसिक प्रताड़ना, तथा अपूर्णीय आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166 दिनांक-29.11.2013, कुलपति, वीर कुर्र सिंह विश्वविधालय, आरा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
340.	मो० एकबाल रशीद, आलमगंज पो०-गुलजार बाग जिला-पटना।	लूट रंगदारी एवं जान से मारने की आशंका के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-173 दिनांक-2.12.2013, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
341.	खलिफा मो० आलमगीर, मौजा डुमरौव स्टेशन रोड वार्ड नं०-१४ बक्सर।	ताजिया चौक पर अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-190 दिनांक-9.12.2013, जिलापदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बक्सर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
342.	मो० शमीमुलहक, थाना बिहटा जिला पटना।	कबिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-192 दिनांक-9.12.2013, प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
343.	मकसूद आलम, वाउली कब्रिस्तान समिति दावथ।	रोहतास जिला के दावथ अंचल अंतर्गत कब्रिस्तान को अतिक्रमण से मुक्त करने तथा घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-199 दिनांक-11.12.2013, जिलापदाधिकारी, रोहतास, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
344.	श्री सियासत अली, थाना+पो० मोहनियॉ जिला कैमूर।	थानाध्यक्ष मोहनिया द्वारा सहयोग नहीं करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-206 दिनांक-20.12.2013, पुलिस अधीक्षक, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
345.	मो० सराफत हुसैन, ग्राम करौती, ग्राम पंचायत नदहरी-कोदहरी थाना सिगौड़ी पालीगंज पटना।	दरगाह व कब्रिस्तान के अतिक्रमण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-03 दिनांक-03.01.2014, जिलापदाधिकारी, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
346.	वंदना बौद्ध, तथागत नगर ग्राम+पो० कड़सर जिला बक्सर।	अल्पसंख्यक ठण। की बेरोजगार छात्रा वंदना बौद्ध को शिल्पा महिला सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत दिलाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-06 दिनांक-3.1.2014, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
347.	मो० मुख्तार अहमद, ग्राम करनगंज थाना एकांगर सराय जिला-नालन्दा।	सी० एस० नवशो के आधार पर सीमांकन कराने के पश्चात् कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-07 दिनांक-3.1.2014, जिलापदाधिकारी, नालन्दा, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
348.	मो० नौशाद आलम, पिता कमरुद्दीन अहमद सरकार, ग्राम+पो० छोगड़ा भाया बारसोई, जिला कटिहार।	बिहार प्राथमिक उर्दू एवं बंगला (विशेष) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में बंजमहवतपमे को सुधारने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-08 दिनांक-3.1.2014, अध्यक्ष, बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
349.	कुरैशी बीबी, थाना शाहपुर जिला	शाहपुर थाना काण्ड सं० 236/13 के	आयोग के पत्रांक-09 दिनांक-3.1.

	भोजपुर।	अभियुक्तों की गिरफतारी नहीं किए जाने के संबंध में।	2014, पुलिस अधीक्षक, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
350.	मो० अशरफ अली, मोहल्ला गगनदीबान बिहारशरीफ।	वक़्� से सम्बंधित प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-10 दिनांक-3.1. 2014, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार सुन्नी वक़्फ बोर्ड, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
351.	मुराद हुसैन, ग्राम/पोस्ट बिलौना प्रखंड बिहिया, भोजपुर।	भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया प्रखंड के ग्राम बिलौना कब्रिस्तान की घेराबन्दी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा साम्प्रदायिक सदभाव को भंग करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-11 दिनांक-3.1. 2014, जिलापदाधिकारी, भोजपुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
352.	मो० अली जान शाह, ग्राम कोपा, पो०-सिंधाङ्गा थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-22 दिनांक-13.1. 2014, प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
353.	मो० अब्बास उफ जावेद, विधुत ग्राहक सं० 010204408347 द० इंडियन मोर्टस अभियंता नगर, रंजन पथ, थाना रूपसपुर बेली रोड, पटना।	विधुत विभाग द्वारा गलत ढंग से बिजली चोरी में फँसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-20 दिनांक-13.1. 2014, मुख्य प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होलिडंग कम्पनी, विधुत भवन, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
354.	प्दम कुमार जैन, विजय आश्रम, महाजन टोली आरा।	अति अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होने के कारण मुझे एवं परिजन के प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-29 दिनांक-22.1. 2014, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पावर होलिडंग लिमिटेड, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
355.	मो० शहाबुद्दीन, नया टोला, फुलवारीशरीफ पोस्ट फुलवारीशरीफ, जिला-पटना।	पटना जिला के फतुहा थाना के अन्तर्गत ग्राम-मोहीउद्दीनपुर के कब्रिस्तान में अवैध मंदिर निर्माण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-52 दिनांक-3.2. 2014, प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
356.	राम सागर पासवान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य फुलवारी प्रखंड अंतर्गत मैनपुर अण्डा पंचायत, ग्राम-बोधगामा, नौबतपुर रोड, प्रखंड-फुलवारीशरीफ।	नौबतपुर रोड ग्राम-बोधगामा स्थित कब्रिस्तान को घेराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-56 दिनांक-3.2. 2014, प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
357.	मो० हुसैन इमाम, पिता-स्व० मंगत मियॉ, ग्राम-पकोड़ा, पो०-खलीलाबाद नदौल, जिला पटना।	कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-80 दिनांक-21.2. 2014, प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
358.	मो० नौशाद अंसारी ग्राम-तेन्दुआ, पो०-धनपोखर जिला-कैमुर।	अभ्यवर्तीत्व सत्यापन के नाम पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नौकरी से खिलवाड़ करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-95 दिनांक-6.3. 2014, पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
359.	मो० सलाउद्दीन खुसरूपुर पटना।	साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-96 दिनांक-5.2. 2014, जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
360.	मो० अली इमाम, बिहारी साव लेन, अशोक राजपथ, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना।	पीरबहोर थाना में पदस्थापित पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री परमेश्वर सहनी को घुस नहीं दिए जाने पर गलत रिपोर्ट अग्रसारित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-97 दिनांक-5.2. 2014, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
361.	श्रीमती इफ्फत अंजुम, पति अफसर	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले	आयोग के पत्रांक-102 दिनांक-5.2.

	अहमद, आरक्षण पर्यवेक्षक राजेन्द्र नगर पटना।	कर्मचारी से दूर्व्यवहार करने के संबंध में।	2014, मंडल रेल, प्रबंधक, पूर्व रेलवे, दानापुर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
362.	मो० अशफाकु हुसैन, ग्राम+पोस्ट-बक्सर जिला-बक्सर।	सजिश के तहत गलत आरोप लगाकर निलम्बित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-117 दिनांक-21.2. 2014, जिलापदाधिकारी, बक्सर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
363.	मो० सैयद अहमद खँ, ग्राम-अकबरपुर, थाना-रोहतास।	निजी जमीन पर अनाधिकृत रूप से पक्का रोड बनाने एवं नाली निकासी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-122 दिनांक-6.2. 2014, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, रोहतास, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
364.	श्रीमती शमीम आरा, पति-अकबर खँ, ग्राम-दुमरी पोस्ट-कबिलासपुर, जिला-कैमूर।	अल्पसंख्यक कोष से सहायता राशि देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-123 दिनांक-11.2. 2014 जिला पदाधिकारी, कैमूर, पुलिस अधीक्षक, कैमूर, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
365.	मो० खुशीद आलम, ग्राम-रामपुर ईसमाइल, ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर पैनाठी थाना-बिहाटा, जिला-पटना।	कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-101 दिनांक-8.3. 2014 जिला पदाधिकारी, पटना, को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
366.	सचिव अल फातिमा, एडुकेशनल सोसाईटी, पटना।	अल फातिमा म्कनबंजपवदंस 'वबपमजल के अंतर्गत संचालित बी० एड० कॉलेज को अल्पसंख्यक की मान्यता देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-129 दिनांक-12.3. 2014 प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, पटना। को जॉचोपरान्त कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा गया।
367.	रानी, पति सुखराज सिंह, ग्राम+पोस्ट लक्ष्मीपुर, थाना-बरारी, जिला-कटिहार।	वसगीत पर्चा को रद्द करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-159, दिनांक 14.08. 2013 द्वारा जिलापदाधिकारी कटिहार।
368.	मो० अन्सार अन्सारी, वल्ड सदन अन्सार अन्सारी, ग्राम-पनसुही, पो०-सिही, थाना-दुल्हिन बाजार, जिला-पटना।	उनके बगलगीर द्वारा तंग-तबाह एवं पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-160, दिनांक 14.08. 2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।
369.	ननक शाही उदासीन मठ, थाना+जिला-लखीसराय।	कृषियोग भूमि जिसका तौजी न०-३ थाना, न०-१३४, खाता न०-४४९, खेसरा न०-१५९९, एवं १६०० की कुल एराजी-५८ डी० जमीन को नजायज कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-161, दिनांक 16.08. 2013 द्वारा जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक कटिहार।
370.	दरोगा राय पथ, सरपेटाइन रोड पटना।	गुरुनानक भवन को आंटिट जमीन का नवीकरण कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-162, दिनांक 19.08. 2013 द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है।
371.	अल्पसंख्यक महिला शमीमा खातुन, पति-शहाबुद्दीन अंसारी, ग्राम-रेपूरा, पो०-नगरी, थाना-चरपोखरी, जिला-भोजपुर।	काण्ड सं०-१४९ / १२ के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-163, दिनांक 20. 08.2013 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
372.	मो० इसलाम मियौं, ग्राम+पो०-एन्खॉ, थाना- दुल्हिनबाजार जिला-पटना।	जान माल की सुरक्षा के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-166, दिनांक 27. 08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
373.	बिहार सिक्ख प्रतिनिधि बोर्ड, गुरुनानक भवन।	दरोगा राय पथ, पटना में नीज होल्ड भूमि के लीज नवीकरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-168, दिनांक 6.09. 2013 द्वारा समाहर्ता पटना को कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है।।
374.	ननक शाही उदासीन मठ, गुरुद्वारा।	लखीसराय स्थित बालगुदर के द्वारा को	आयोग के पत्रांक-172, दिनांक 13.

		अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में।	09.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक लखीसराय को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
375.	लालगंज, नानकशाही	लालगंज के नानकशाही गुरुद्वारे के पवित्र गुरुग्रन्थ सहिब के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-174 ,दिनांक 16. 09.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक वैशाली को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
376.	पकिजा साहिन, पिता—सराजुल हक, ग्राम—जोगापुर कोठी, थाना—जाओ, जिला—सिवान।	उनको दहेज के लिए शादी न करना एवं थाने द्वारा केस न दर्ज करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-177 ,दिनांक 23. 09.2013 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, सिवान को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
377.	डॉएमडी आलम, पिता—स्व० हबीब, मु०+थाना+प०—दिदारगंज, पटना सिटी, जिला—पटना।	उनके घर में घुसकर पारमीट करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-197 ,दिनांक 9.12. 2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना / अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
378.	कीर्तन गढ़, गुरुद्वारा।	कीर्तन गढ़, गुरुद्वारा परिसर में अल्पसंख्यक सिक्ख विधालय शुरू करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-198 ,दिनांक 10. 12.2013 द्वारा सरदार हरि सिंह, प्रधान गुरुद्वारा कीर्तन गढ़, कलमबाग रोड, मुज्जफरपुर को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
379.	स्व० विनोद केमार टंडन, एल० डी० सी०	उनके जी० पी० एफ० एवं इन्झोरेन्स के भुगतान के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-202 ,दिनांक 27. 12.2013 द्वारा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, बीरचन्द्र पटेल मार्ग पटना, को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
380.	दर्शन कौर पति—रणजीत सिंह, मिठनपुरा, रमना, मुज्जफरपुर।	रणजीत कुमार गुप्ता, पिता गणेश शाह, जीवधारा मोतिहारी निवासी द्वारा उनको झूठा मुक़दमा में फँसाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-203 ,दिनांक 30. 12.2013 द्वारा जिलापदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, मुज्जफरपुर को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
381.	श्री मोहन सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिकी रेफरल, अस्पताल, सिसवन सिवान।	उन्हें स्थानान्तरण करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-06 ,दिनांक 20.01. 2014 द्वारा अशोक कुमार विठ्ठल सो० प्रशासी पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य समिति परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
382.	मो० नुरुल होदा, पिता—स्व० हैदर अली, मोहल्ला निषदगंज, नगरपालिका वार्ड न०-८ थाना+प०—अनुमण्डल निमली।	आम रास्ता के जमीन पर अवैध रूप से दखल कब्जा कर खिड़की खोल दिया गया है उसे बन्द कराने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-11 ,दिनांक 28.01. 2014 द्वारा जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक सुपौल को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
383.	मो० निजामुद्दीन, पिता—स्व० महबुब आलम, ग्राम—हरदास विधा, प०—बैकठपुर, थाना—खुशरूपुर, जिला—पटना।	विपक्षी साधुशरण रविदास एवं उसके असमाजिक अपराधिक प्रवृत्ति के साथीयों द्वारा जान मारने की धमकी देने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-12 ,दिनांक 30.1. 2014 द्वारा जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
384.	सरदार हरि सिंह, निदेशक जगजीत सिंह, इसपात इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड।	उच्च न्यायालय से इनके पक्ष में नियन्य हुआ है उसके सम्बंध में पत्र लिखा गया है।	आयोग के पत्रांक-22 ,दिनांक 26.02. 2014 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, वियाडा, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
385.	भाषाई अल्पसंख्यक श्री तरुण कुमार मुर्खजी, निवासी राजेन्द्र नगर, रोड न०-११	जल पर्षद द्वारा पानी आपूर्ति नहीं किए जाने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक-212 ,दिनांक 25. 04.2013 द्वारा सहायक अभियंता, पटना नगर निगम (जलापूर्ति शाखा) को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
386.	श्रीमती रोजमारी बर्नाड,	भविष्य निधि खाता संख्या—ठर्ड४४१९६५९	आयोग के पत्रांक-163 ,दिनांक 20.

		को पेंशन भुगतान न करने के संबंध में	08.2013 द्वारा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
387.	बिहार राज्य द्वारा धर्मिक अल्पसंख्यक राज राजेश्वर उच्च विधालय बरखीघा, शेखपुरा ।	छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान करने के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-163 ,दिनांक 20. 08.2013 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर, आरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
388.	जहानाबाद	इसाई समुदाय द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संत मैरीज मध्य विधालय, जहानाबाद के छात्र छात्राओं को अनुमान्य सुविधाए नही मिल रही हैं ।	आयोग के पत्रांक-14 / 96 ,दिनांक 29.04.2013 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
389.	ग्राम—गोसाईपुर, दिघवारा प्रखण्ड, जिला—सारण, छपरा ।	कब्रिस्तान कि घेराबन्दी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-2 / 99 ,दिनांक 2. 05.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी भोजपुर, सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
390.	त्वदंसक डनततंल 'दक' मतमद डनततंलए झमतंस	डंजजमत वि डंजतपउवदपंस हतपमअंदबम वि दहसव प्दकपंद ब्वनचसम	आयोग के पत्रांक-12 / 15 ,दिनांक 23.07.2013 द्वारा मुख्य सचिव, केरल को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
391.	बरियारपुर	कैथेलिक ईसाई कब्रिस्तान, बरियारपुर की घेराबंदी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-12 / 101 ,दिनांक 14.05.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
392.	संजय डीकूज़, कटिहार ।	संजय डीकूज को प्रताड़ित करने, जबरन घन वसूली करने एवं चल सम्पत्ति को नुकसान पहँचाने के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-11 / 104 ,दिनांक 20.08.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी कटिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
393.	गुलशबा तरन्नुम एवं फरीद जबीन ग्राम+पो10 सुन्दरगंज, जिला—औरंगाबाद	मेधाघात वृत्ति देने के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-7 / 106 ,दिनांक 13.06.2013 द्वारा निदेशक अल्पसंख्यक निदेशालय, बिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
394.	अहिमन पटटी, त्रिलोकचक पंचायत, दिघवारा प्रखण्ड, जिला—सारण, छपरा ।	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-2 / 108 ,दिनांक 26.06.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
395.	ग्राम—फकुली, पो1—गोसाईपुर, थाना—अवतार नगर, जिला—छपरा, सारण ।	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-2 / 109 ,दिनांक 26.06.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
396.	श्री मिलन चौंगदार	जान एवं माल के संरक्षण के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-3 / 114 ,दिनांक 22.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
397.	नालन्दा	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-12 / 117 ,दिनांक 29.07.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी नालन्दा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
398.	बिहार शरीफ	कब्रिस्तान की घेराबंदी के संबंध में ।	आयोग के पत्रांक-12 / 147 ,दिनांक 18.11.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी नालन्दा, बिहारशरीफ को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है ॥
399.	श्री विकास कुमार	उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान	आयोग के पत्रांक-7 / 124 ,दिनांक

		करने के संबंध में।	16.8.2013 द्वारा जिला कल्याण, पदाधिकारी बिहार पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
400.	गाम—घनगाड़ा, थाना—बनियापुर, जिला—सारण छपरा।	कब्रिस्तान की घोराबंदी के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—2/126, दिनांक 23.8.2013 द्वारा जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
401.	श्रीमती नुरस्सवाह उर्दू मध्यविधालय, शेख बहुआरा, प्रखण्ड—कोचस, जिला—रोहतास।	स्थानांतरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—2/129, दिनांक 9.9.2013 द्वारा निदेशक, प्रथमिक शिक्षा, बिहार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
402.	सुश्री सुशीला मुर्मू छात्रा घनश्यम बालिका उच्च विधालय, खगौल, पटना।	गलत अंक पत्रक निर्गत करने से संबंधित।	आयोग के पत्रांक—12/138, दिनांक 4.10.2013 द्वारा अध्यक्ष, बिहार विधालय परिष्क समिति, पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
403.	श्रीमती राना प्रवीन, उर्दू सहायक शिक्षिका, उत्कमित मध्य विधालय, चॉटी, प्रखण्ड अकोड़ी गोला, जिला रोहतास।	स्थानांतरण के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—2/137, दिनांक 4.10.2013 द्वारा निदेशक, प्रथमिक शिक्षा, बिहार, सरकार को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
404.	बी० बी० सोगरा अल्पसंख्यक छात्रावास, बिहारशरीफ।	संचालन संबंधी खर्च वहन करने से संबंधित।	आयोग के पत्रांक—7/148, दिनांक 18.11.2013 द्वारा जिला, पदाधिकारी नालन्दा को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
405.	श्रीमती छवी चटर्जी निवासी—403, लालकोठी अपाटमेंट, न्यू जककनपुर, पटना।	अंचल संपत्ति हड्डपने के प्रयास के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—3/163, दिनांक 6.1.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
406.	श्रीमती शागुफता प्रवीन, धनरूआ, पटना।	कुल प्राप्त मैदा अंक से कम मैदा अंक पाने वाली एवं न्यूनतम आबादी वाले वर्ग की आवेदिका का चयन करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—2/166, दिनांक 6.1.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
407.	अररिया	मुस्लिम परिवार की महिलाओं के जान—माल एवं अंचल संपत्ति की सुरक्षा तथा उन्हें सरकारी योजनाओं में अनुमान्य प्रदान करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—2/170, दिनांक 10.2.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी अररिया को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है
408.	श्री सुबीर घोष निवासी लंगरटोली, कदमकुओं, पटना।	महतो निवासी आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, पटना द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में।	आयोग के पत्रांक—3/184, दिनांक 21.3.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी पटना को कारवाई हेतु पत्र लिखा गया है